RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Re : **Allocation of time for Government and other Business**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) : I have to inform hon. Members that the Business Advisory Committee, at its meeting held on 31st July, 1986, allotted three hours for consideration and return of the Appropriation (No.4) Bill, 1986, as passed by Lok Sabha Time for the Bills was allotted at the meeting held on 24th July, 1986 and announced in the House.

——

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1984 *to amend article 371*—(Contd.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) : Now, Bills for introduction. Shri Chitta Basu, not here.

We take up the earlier Bill.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री विट्ठल राव जाधव ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । दरिद्रता उन्मूलन और पिछड़ेपन से मुक्ति-भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो महान लक्ष्य रहे हैं । इन लक्ष्यों ने देश के करोड़ों नर-नारियों में संघर्ष का संकल्प और बलिदान की उमंग पैदा की । जन-विद्रोह और अनवरत प्रतिरोध के एक लम्बे दौर के बाद भारतीय जनता को ब्रिटिश राज के चंगल से मुक्ति मिली । 15 अगस्त, 1947 के बाद सारा देश एक जुट होकर एक बेहतर भविष्य के प्रति अटूट आस्था के साथ दो सौ सालों की विदेशी गुलामी से पैदा गरीबी, बेकारी, शोषण और पिछड़ेपन के दानवों से मुक्त स्वाधीन भारत की रचना के लिए आगे बढ़ा । राष्ट्रीयता की जगह क्षेत्रीयता और जातिवाद राष्ट्रीय जीवन के अभिशाप बनते जा रहे हैं । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन लक्ष्यों को लेकर देश की आजादी की लड़ाई जीती गई उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही हमारे मित्र ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है । मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देश के नेता श्री राजीव गांधी जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की दिशा में प्रयास किया है और समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट या आर एस जी ई पी या नेशनल डैवलपमेंट यह तीन कार्यक्रम ऐसे हैं कि यदि इन कार्यक्रमों को ईमानदारी और सच्चाई से देश के अंदर लागू किया जाय तो मुल्क के करोड़ों इंसानों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने का अवसर मिलेगा । अभी कल इसी सदन में हमारे देश के नेता राजीव गांधी जी ने कहा कि हम इन गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों को लागू करने के लिये संसद् सदस्यों और विधायकों और जनता के प्रतिनिधियों को भी इनवाइट करेंगे । इरादे उनके बहुत मजबूत हैं । देश से गरीबी को हटाने का उन का संकल्प है और उसको पूरा करने के लिये जिस तरह से लाखों लाख कार्यकर्ताओं की जरूरत है उन की आज बड़ी कमी है । जैसे हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई को जीतने के लिये गांधी जी की रहनुमाई में कई लाख लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ तन, मन, धन लगा कर, राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो कर उसके लिये काम किया और अंत में देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया उसी तरह से जब दश की आर्थिक आजादी को हासिल करने के लिये, राजनीतिक आजादी के बाद आर्थिक आजादी के सपने को पूरा करने के लिये लाखों लाख लोग, सरकारी पक्ष के लोग, विरोधी पक्ष के लोग भी देश की आजादी, आर्थिक आजादी को हमें हासिल करना चाहिए इस संकल्प को पूरा करने के लिये जब करोडों लोग इस महायज्ञ में जुटेंगे तभी हम अपने देश को गरीबी और

पिछड़ेपन से मुक्ति दिला पायेंगे । इस में देश के बहुत से पिछड़े इलाके भी आते है।

आदरणीय हमारे मंत्री श्री रामानन्द जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं । मैं चाहूंगा कि वे मेरी कुछ बातों पर ध्यान दें । उन के दिल में एक आजादी का तूफान है । वे खुद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं और जिन सपनों के साथ रामानन्द जी जैसे लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी उन सपनों को चरितार्थ करना या चरितार्थ होने का सपना देखना, यह उनका महान धर्म है । लेकिन मैं उनके सामने कुछ वस्तुस्थिति रखना चाहता हूं ।

हमारे देश में आजादी के बाद यह तय किया गया कि 270 सिंचाई योजनायें हमारे मुल्क में लागू की जायेंगी । लेकिन 39 वर्षों के बाद भी आज केवल 70 योजनायें लागू की गयीं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर भारत से गरीबी को मिटाना है, भारत से दरिद्रता को दूर करना है, भारत से पिछड़ेपन को दूर करना है तो हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों के लिये बिजली की व्यवस्था कीजिए, हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों को पक्की सड़कों से जोड़िये, और हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में खेती का काम करने वाले किसानों को बाढ़ और सूखा से बचाइये । हिन्दुस्तान एक विकसित, शक्ति संपन्न राष्ट्र बन कर दुनिया के रंगमंच पर उभर कर आयेगा । जब पिछड़ेपन पर बहस होती है तो हमारा ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश, मराठवाड़ा की ओर जाता है । मराठवाड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है । मराठवाड़ा के विकास के लिये जो सरकार ने संविधान में संशोधन किया है उस संशोधन के अंतर्गत वहां का विकास करने के लिये सरकार को ध्यान देना चाहिए और एक स्टैचुरेरी बोर्ड के माध्यम से जो डवलपमेंट में बैकलाग वहां खड़ा हुआ है उस को दूर करना चाहिए और महाराष्ट्र के विकसित इलाकों के बराबर में उन इलाकों को भी लाना चाहिए जो कि पिछड़े हुए इलाके हैं । लेकिन मराठवाड़ा के साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ भी खींचना चाहता हूं । पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा पिछड़ा इलाका इस समय हिन्दुस्तान में दूसरा कोई नहीं है । मराठवाड़ा भी इतना पिछड़ा नहीं है जितना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पिछड़ा है । बिहार में हिन्दुस्तान का 45 प्रतिशत खनिज पदार्थ पैदा होता है मगर पर कैपिटा इंकम की दृष्टि से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सब से कम आते हैं । आखिर इस का कारण क्या है । रामानन्द जी, यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को अतिवृष्टि और अनावृष्टि, सूखाड और बाढ़ से मुक्त कर दिया जाय तो वहां से गरीबी दूर हो सकती है । सबसे बड़ा कारण वहां बाढ़ है, सबसे बड़ा कारण वहां सूखा है, वहां की जनता की शक्ति का इस्तेमाल न किया जाना ही वहां के पिछड़ेपन का कारण है ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप अखबारों में पढ़िए, बाढ़ के कारण सैकड़ों लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में मर गये है, सैकड़ो लोग सूखे से मर गए हैं । मैं अपने ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे प्रधान मंत्री जी के सामने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बुनियादी प्रश्नों को रखने की कृपा करें । मैंने अखबारों में पढ़ा कि कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है । बिहार में बाढ़ और सूखे का संकट उपस्थित हो गया है । श्रीमन्, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, देश के नेता राजीव गाधी जी का कहना है कि साइंस और टैक्नालाजी के इस्तेमाल से हम भारत की गरीबी को दूर करेंगे । जब दुनिया चांद सितारों तक पहुंच चुकी है, जब दुनिया बहुत विकसित हो चुकी है, तब भी आज के जमाने में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार बाढ़ और सूखे के शिकार हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार टेहरी डैम को पूरा करे जिसका संकल्प 1962 में किया गया था । टेहरी डैम से पानी लेने की बात दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन भी कर रहा है ।

अगर टेहरी में डैम बना दिया जाय जो इतनी मात्रा में जल मिलेगा कि जिससे हम जल के संकट को दूर कर सकेंगे और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को बाढ़ और सूखे से बचा सकेंगे । लेकिन टैहरी डैम को बनाने के लिए 12 सौ 14 सौ करोड़ रुपए की आवश्यकता है । यह डैम तभी बन सकता है जब कि केन्द्र सरकार विश्व बैंक से मदद लेकर इस बांध को 5 वर्ष में पूरा करा दे ।

श्रीमन्, भाखड़ा नंगल डैम बनने के कारण ही पंजाब और हरियाणा में सुख-समृद्धि की लहर आई । 1948–50 के बीच ही भाखड़ा डैम बना और पंजाब और हरियाणा के पिछड़े हुए इलाकों को हरा-भरा बनाया जा सका । 39 साल पहले पंजाब और हरियाणा इतने विकसित नहीं थे, लेकिन आज वे इतने विकसित हो गए है कि हिन्दुस्तान मे जो 15 करोड़ टन गल्ला पैदा होता है, उसमें से साढ़े सात करोड़ टन गल्ला पंजाब और हरियाणा में पैदा होता है । उस पैदावार का मुख्य कारण, उस हरित क्रांति का मुख्य कारण भाखड़ा नंगल डैम का बनना है भाखड़ा नंगल डैम से पंजाब और हरियाणा को गारन्टी मिली सिंचाई की और वहा के किसानों को 14 घंटे बिजली मिलती है । लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को या गंगा की घाटी में रहने वाले लोगों को जो कि संसार की सबसे फर्टाइल लैंड है, बाढ़ और सूखे के संकट मिले जिसके कारण वहां के करोड़ों करोड़ लोग पिछड़ेपन के शिकार हैं और पिछड़ेपन के दो पाटों के बीच में पिस रहे हैं । मै निवेदन करना चाहता हू कि हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं स्टेट मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद हैं, वे प्रधान मंत्री जी के सामने उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए टेहरी डैम को पूरा कराने का अनुरोध करें । श्रीमन्, 1962 में श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव डाली और 1986 तक इसका सौवां अंश भी पूरा नही हो सका है । इसलिए युद्ध स्तर पर टेहरी डैम का निर्माण करने के लिए हमारे कैबिनेट के मंत्री प्राथमिकता देकर सिंचाई और जल की भरपूर व्यवस्था कराने की कोशिश करें ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तबाही का कारण क्या है ? नेपाल से निकलने वाली करनाली, राप्ती, घाघरा ये तीनों नदियां है । यदि जहां पर वे भारत में आती है, वहां पर करनाली डैम, भालू बांध और पंचेश्वरी डैम का निर्माण हो जाए जो कि केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं, तो यह तबाही रुक सकती है । केन्द्रीय सरकार के संचार मंत्रियों ने नेपाल सरकार से कई बार वार्ता की । हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी नेपाल सरकार से इस सम्बन्ध मे बात की थी । हमारे देश के बहुत से संचार मंत्रियों ने भी नेपाल सरकार से बात की । हमारे राष्ट्रपति जी भी नेपाल गये थे उन्होंने भी हिन्दुस्तान और नेपाल के सम्बन्धों के बारे में बात की होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक नेपाल से निकलने वाली नदी घाघरा, राप्ती और शारदा, इन तीनों के ऊपर जो भालू, पंचेश्वरी, करनाली तीन डैम प्रस्तावित हैं इन तीनों डैमों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक बिहार और उत्तर प्रदेश को बाढ़ की विभीषिका से नहीं बचाया जा सकता । आधा उत्तर प्रदेश सूखे का शिकार हो गया है और आधा उत्तर प्रदेश और बिहार बाढ़ में नष्ट हो रहे हैं । अरबों, करोड़ों रुपये बाढ़ और सूखे के नाम पर हर साल दिये जाते हैं । उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए तो बाढ़ और सूखा एक वरदान सा बन गया है । हर साल बाढ़ आयेगी, हर साल सूखा आयेगा और हर साल करोड़ों रुपया केन्द्र और राज्य की सरकार देगी और उस रुपये का 60, 70 परसेंट जो है वह खुद सरकार के कर्मचारी खा जायेंगे । इसलिए जो रुपया सूखा और बाढ़ के नाम पर दिया जा रहा है उस रुपये को सरकार को चाहिए कि वह रुपया पंचेश्वरी, करनाली और भालू डैम के निर्माण के लिए खर्च करे ।

1962 में जवाहर लाल नेहरू केबिनेट में टिहरी डैम के मामले को स्वीकार किया गया था लेकिन आज तक न टिहरी

डैम का निर्माण हुआ और न भालू डैम का निर्माण हुआ, न पंचेश्वरी और न करनाली डैम का ही निर्माण हुआ ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में 45 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। हिन्दुस्तान की आबादी 70 करोड़ है। अमेरिका की तरफ दृष्टि डाली जाए। एक लाख मेगावाट बिजली केवल न्यूक्लियर से अमेरिका पैदा कर रहा है। डेढ़ लाख मेगावाट बिजली थरमल पावर से वह पैदा कर रहा है। डेढ़ लाख मेगावाट बिजली वह पानी से पैदा कर रहा है। आज अमेरिका में 4 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। अमेरिका का 25 करोड़ जनता को 4 लाख मेगावाट बिजली इस समय मिल रही है। आने वाले दशक में दो लाख मेगावाट बिजली न्यूक्लियर से बनाने की योजना है। हमारे देश के अन्दर ईश्वर ने, भगवान ने हिन्दुस्तान को प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सम्पन्न और सबसे सुखी देश बनाया है इसी देश के अन्दर बिजली का संकट है। अगर आप इस बिजली के संकट को दूर करना चाहते हैं तो टिहरी डैम, करनाली डैम, भालू डैम, पंचेश्वरी डम इन चारों डैमों का निर्माण कर दीजिए। देश में अकेले 40 हजार मेगावाट बिजली इन चारों डैमों से बन जायेगी और 40 हजार मेगावाट बिजली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक जनरेशन से पैदा होगी। बिहार और उत्तर प्रदेश जो रत्न-गर्भ धरती है, जहां उपजाऊ जमीन है उस जमीन के रहने वाले किसानों को अगर बाढ़ और सूखा से मुक्ति दिला दी जाए, वहां किसानों को केवल पानी और बिजली की व्यवस्था कर दी जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार न केवल हिन्दुस्तान को बल्कि पूरे एशिया को खाना खिलाने की क्षमता रखता है। क्या कोई इलाका इतना विकसित हो सकता है? गंगा घाटी के उत्तर प्रदेश और बिहार की उर्वरा जमीन के अंदर इतनी शक्ति है, इतने खनिज पदार्थ है कि वह न केवल हिन्दुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे एशिया को फूड प्रोडेक्शन का काम केवल इन घाटियों से किया जा सकता है। हमारे देश के नेता एल के झा जी बैठे हैं। वह जानते हैं।

आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों, गरीबी के कारणों को दूर किया जाना चाहिए। पिछड़ेपन का उन्मूलन, गरीबी का उन्मूलन इन दो लक्ष्यों को पूरा करने का काम पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में युद्ध स्तर पर केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकार को करना है। इन दोनों को यह करना चाहिए। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ... (**व्यवधान**)

SHRI P. BABUL REDDY (Andhra Pradesh) : Mr. Kalpnath Rai, the Bill is regarding Vidharba and Marathwada?

श्री कल्पनाथ राय : श्री बाबुल रेड्डी जी, यह संशोधन मराठवाड़ा के विकास के लिए आया है। संविधान में जो यह कहा गया है कि मराठवाड़ा के विकास के लिए एक स्टेटयूटरी बोर्ड होना चाहिए, उसी संबंध में यह संशोधन लाया गया है। मराठवाड़ा का जो बैकलोग है; मराठवाड़ा क्षेत्र की बैकवर्डनैस को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार और महाराष्ट्र की सरकार इस इलाके को पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए जो कानून बनाया गया है उसको तुरन्त लागू करे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह संकल्प पेश किया गया है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जो हिन्दुस्तान के सबसे अधिक पिछड़े इलाके हैं, मराठवाड़ा से भी अधिक पिछड़े हैं, उनके लिए भी जिस प्रकार से मराठवाड़ा के लिए स्टेट्यटरी बोर्ड बनना चाहिए उसी प्रकार से इन क्षेत्रों के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी इस प्रकार का बोर्ड बनाने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए। श्री बाबुल रेड्डी जी, आप अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिये क्योंकि इस देश के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण अंग्रेजी भी है। अड़तीस सालों की आजादी के बाद भी जिस मुल्क के नेता, जिस मुल्क के विरोधी दल के लोग और सरकारी पार्टी के लोग अपनी मां की बोली में न बोल करके अंग्रेजी बोलने में गौरव का अनुभव करते हैं उस देश की गरीबी और पिछड़ापन

दूर नहीं हो सकता है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। इस देश में यह भावना चलती जा रही है कि जो लोग कम अंग्रेजी जानते हैं वही अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं। हमारे इस सेन्ट्रल हाल के अन्दर अनेक विदेशों के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री आ चुके हैं। छोटे से छोटे देश वियतनाम के नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के नेता और राष्ट्रपति यहां पर आ चुके हैं। वे सब अपनी मातृभाषा में भाषण देते हैं। लेकिन हमारे देश में यह स्थिति है कि जो व्यक्ति दसवीं पास भी नहीं वह भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है, चाहे वे अटल विहारी वाजपेयी जी की पार्टी के लोग हों या अन्य पार्टियों के लोग हों। हमारे देश में उत्पादन बढ़ाना और इस देश के पिछड़ेपन को दूर करना हमारे देश की आजादी की लड़ाई का मुख्य लक्ष्य था। हिन्दुस्तान को धरती से गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करना हमारी आजादी का एक मुख्य लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों का विकास करने के लिए बिजली, पानी और सड़कों की आवश्यकता है। अगर हिन्दुस्तान में बिजली, पानी और सड़कों का प्रबन्ध कर दिया जाये और हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में इन चीजों की व्यवस्था कर दी जाये तो सारी दुनिया के देश हिन्दुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। श्री बापू कालदाते जो, आप जनता पार्टी के महामंत्री हैं। आप जनता पार्टी को शहरों की पार्टी मत बनाइये और सिर्फ प्रेस कांफ्रेन्स में भाषण देकर संतुष्ट मत हो जाइये। हिन्दुस्तान मुट्ठीभर शहरों में बसा हुआ नहीं है। हिन्दुस्तान गांवों में बसा हुआ है। हमारे देश की नेता और विश्व की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सातवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा राष्ट्र के सामने रखा। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, उत्पादन, उत्पादकता और बेरोजगारी को दूर कर रोजगार के अवसर प्रदान करना। यह बुनियादी लक्ष्य हमारे देश के सामने है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। भारत सरकार का पिछले 39 सालों से यह प्रयास रहा है कि इस देश से गरीबी और पिछड़ेपन को दूर किया जाये। सन् 1947 में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तो एक भूखा, नंगा, कंगाल और चिथड़ों में लिपटा हुआ हिन्दुस्तान था। लेकिन आज वही हिन्दुस्तान अपने पैरों पर खड़ा है। आज हिन्दुस्तान दुनिया का छठा एटामिक पावर बन चुका है, आज हिन्दुस्तान दुनिया का छठा स्पेस पावर बन गया है, आज हिन्दुस्तान दुनिया का चौथा फर्टिलाइजर टैक्नालाजी जानने वाला देश बन गया है, आज हिन्दुस्तान दुनिया का आठवाँ इंडस्ट्रियल पावर बन गया है। आज हिन्दुस्तान एक शक्तिशाली देश बन चुका है। लेकिन इस साइंस और टैक्नालाजी से, अपने देश में विकसित इस टैक्नालाजी से पूरे देश की गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिये हमें अपने देश के पिछड़े इलाकों की ओर ध्यान देना चाहिए। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं बिहार के विषय में चिंतित हूं। बिहार में पूरे हिन्दुस्तान की 45 फीसदी खनिज संपदा है, पूरे हिन्दुस्तान की 45 फीसदी खनिज संपदा बिहार में पैदा होती है। वहां ईश्वर ने जितनी जल सम्पदा और धरती के अंदर संपदा दे रखी है उतना हिन्दुस्तान के किसी प्रांत में नहीं है। आज बिहार को ही लूटकर लोग बड़े बड़े पूंजीपति बने हुए हैं। बिहार के अंदर सोना, अभ्रक, कोयला, लौहा जो मिलता है उनका उपयोग बड़े बड़े मोनोपली हाउस करते हैं। बिहार की गरीबी और उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार को अगर भारत के संविधान में संशोधन भी

करना पड़े तो उसको करना चाहिए। मराठवाड़ा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों का विकास करने के लिये संविधान में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए और जो हिन्दुस्तान के विकसित इलाके हैं उन इलाकों के एट-पार लाने के लिये उनको स्पेशल फैकिल्टीज देनी होंगी। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सबसे जरूरी चीज पिछड़े इलाकों के विकास की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार में जब सोचते हैं कि वहां कारखाने खोले जायें ताकि वहां के नौजवान लड़कों को रोजगार के अवसर मिले और जब इस बात की मांग उठती है और पूंजीपतियों से कहा जाता है कारपोरेट सेक्टर में कारखाने खोले, प्लानिंग कमीशन से कहते हैं कि वहां पर नये कारखाने लगाये जायें तो पहला सवाल यह उठाया जाता है कि क्या उस इलाके में बड़ा रेल लाइन है, क्या इन जिलों में हवाई पट्टियां लगी हुई हैं क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के हेड क्वार्टर में आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज है, क्या वहां के लोग अथक परिश्रम करने के लिये तैयार हैं। अगर हमें इस तरह की चीजें मिलेंगी तो हम कारखाना खोलेंगे नही तो नहीं। मेरी मांग है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को उन्नति का अवसर देने के लिये वहां पर कारपोरेट सेक्टर में सरकार को कारखाने खोलने चाहिए। देश के जो बैकवर्ड इलाके हैं, वहां पर प्लानिंग कमीशन को कारखाने खोलने की योजना बनानी चाहिए। बैकवर्ड एरियाज में जो पूंजीपति कारखाना खोलेंगे उनको स्पैशल फैसिलिटीज दिये जाने का प्रावधान है। उनको 4 प्रतिशत या 5 प्रतिशत के हिसाब से बैंकों द्वारा सूद पर पैसे दिये जाते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है। आज जितने भी हिन्दुस्तान के पूंजीपति हैं वे दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, दिल्ली से सटा हुआ जो राजस्थान का इलाका है उस इलाके को ही ये पूंजीपति सरकार से मिलकर बैकवर्ड घोषित कर देते हैं उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर दिल्ली से सटे हुए इलाके जैसे गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मेरठ जैसे इलाकों को बैकवर्ड घोषित करा देते है। इसी तरह से दिल्ली से सटे हुए जो हरियाणा के इलाके हैं उनको बैकवर्ड घोषित करा देते हैं और सरकार से जितनी भी अधिक फैसिलिटीज उनको मिल सकती है वह ले लेते हैं, बैंकों से कम ब्याज पर ऋण लेते हैं और इस तरह से केवल दिल्ली के चारों तरफ औद्योगिकीकरण हो रहा है। इसके कारण यहां पर पाल्यूशन का संकट पैदा हो रहा है। यह केवल सरकारी पार्टी के सोचने की ही बात नही है बल्कि इस पर सब लोगों को सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि दिल्ली से सटे हुए जो राजस्थान के इलाके जैसे अलवर है वह बैकवर्ड घोषित किया गया है, जो हरियाणा के क्षेत्र दिल्ली से सटे हुए हैं उनको बैकवर्ड घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश के जो इलाके जैसे दादरी है उसको बैकवर्ड घोषित किया गया है। जो दिल्ली से सटे हुए इलाके है उनको बैकवर्ड घोषित कराकर पूंजीपति लोग सरकार से पूरी सहायता ले रहे है और उन्हीं इलाकों में इंडस्ट्री खोलते हैं और बैकवर्ड इलाके में इंडस्ट्री खोलने के नाम पर 4 प्रतिशत के सूद पर 4 करोड़ रुपया ले लेते हैं। इस तरह का मैनुपुलेशन आज हिन्दुस्तान के पूंजीपति कर रहे हैं। साथ ही वे दिल्ली में बैठकर अपने अखबारों के माध्यम से, नौकरशाही के साथ अपने कान्टेक्ट से, अपने मैनुपुलेशन और मनीपावर के बल से पिछड़े इलाकों का विकास नहीं होने दे रहे हैं।

3 P.M.

सरकार को बड़ी कड़ाई से इन पूंजीपतियों के खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। हिन्दुस्तान के किसान के बेटों ने गांव में रहने वाले किसानों के बेटों ने ही देश की आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ कर के फांसी के तख्तों को चूम कर देश को आजाद किया। किसान के बेटों ने ही आजादी की लड़ाई में आगे बढ़कर पंडित

जवाहरलाल नेहरू का साथ दे कर इस देश को आजाद किया। किसान के बेटे हिमालय की सीमाओं पर बन्दूकें ले कर मातृभूमि के लिए खून के नाले बहाते हैं, किसान के बेटे ही देश के लिए दौलत पैदा कर के देश को अनाज देते हैं, हिन्दुस्तान का कोई पूंजीपती इस मुल्क की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर नहीं चढा न उस ने अपने सीने में कभी गोली खाई और न कभी कोई कुर्बानी दी। आज हिन्दुस्तान के सात लाख गाव हैं इन गांवों में रहने वाले किसानों के बेटे जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, अन्न पैदा करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं उन्हीं के लड़के बार बार सूखे के शिकार बन कर दर दर की ठोकरें खाएं और गरीबी की दासता की जिन्दगी बिताएं यह बात ठीक नहीं है। यही लोग हैं जो हमारी सरकार के पीछे भी खड़े होते हैं। वही सात लाख गांवों में रहने वाले गरीब लोग इन्दिरा जी के हाथ मजबूत करने का सवाल आएगा, जवाहर लाल जी के हाथ मजबूत बनाने का सवाल आएगा, राजीव गांधी का राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए प्राणों की बाजी लगाने का सवाल होगा तो किसान, गांव के लोग तैयार होंगे और उस इलाके का विकास करने के लिए भारत सरकार को कदम उठाना होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी ने इंटेग्रेटिड रूरल डवलपमेंट के माध्यम से, रूरल इम्पलायमेंट गारंटी स्कीम के माध्यम से, रूरल रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से भारत की गरीबी की रेखा के नीचे करोड़ों इन्सानों को ऊपर उठाने का संकल्प लिया है। राजीव गांधी जी के दिल में आजादी का तूफान है, उनकी आंखों में देश बनाने का सुनहरा सपना है, वे हिन्दुस्तान को 21वीं शताब्दी में शक्तिशाली भारत के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। हमारा और आपका यह धर्म है कि हम उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके हाथ मजबूत बना कर अपने देश में गरीबी को खत्म करें, अपने मुल्क से बेरोजगारी को समाप्त करने की कोशिश करें, प्रयास करें। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज आप हिन्दुस्तान की तस्वीर का दुनियां के नक्शे में देखेंगे या हिन्दुस्तान की तस्वीर को दुनियां के आइने में देखेंगे आज जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति है उस परिस्थिति से आप हिन्दुस्तान में घट रही घटनाओं को अलग नहीं कर सकते हैं। हिन्दुस्तान ही नहीं हिन्दुस्तान से न तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को अलग कर सकते हैं और न बिहार को अलग कर सकते हैं। तो पूरी दुनियां के कंटेक्स्ट में हमें गरीबी का उन्मूलन करना है हमें पिछड़ेपन से देश को मुक्ति दिलानी है और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें अपने देश के नेता राजीव गांधी के हाथों को मजबूत बनाना है। बिना उनके हाथ मजबूत बनाए न तो हम अमरीकी साम्राज्यवाद का मुकाबला कर सकते हैं, न तोड़-फोड़ करने वाली और राष्ट्रघाती और जनघाती ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं। राष्ट्र की सार्वभौमिकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए है दुनियां में हिन्दुस्तान की तस्वीर को ऊंचा बनाए रखने के लिए हमारा यह राष्ट्रीय धर्म है कि हम उनके हाथों को मजबूत बनाएं और उनके ऊपर अपनी तरफ से दबाव डाल कर अपने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, गरीब जनता के लिए संविधान में संशोधन कर के ऐसे कदम उठाएं ताकि आजादी की लड़ाई के उद्देश्यों को सामने रख कर हम भविष्य के सुहावने भारत का निर्माण कर सकें ताकि हिन्दुस्तान 21वीं सदी में जा कर दुनियां को विश्वशांति और विश्व-विकास का संदेश दे सकें। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : बाहर तो

प्रचार करते हैं कि मराठी नहीं समझते ...(**व्यवधान**) अब पड़ोस में भी करने लगे ...(**व्यवधान**)

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे मित्र, इस सदन के सम्माननीय सदस्य श्री विठ्ठल राव जी ने रखा है इसका मैं पूरे दिल से समर्थन करता हूं। इसका समर्थन करते हुए एक बात के बारे में सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय अगर उचित समय में आप नहीं देंगे तो अन्याय होता है। जो विधेयक यहां आया है, यह कोई आज की बात नहीं है। एक तो जब से यह संविधान में इसका प्रावधान बनाया गया है तब से उस इलाके के हम लोग इस बात को चाहते थे कि जो अभिवचन उस समय के मुख्य मंत्री हों या इस मध्यावधि सरकार के मंत्री हों, इन सब लोगों ने दिये हैं उनका वे परिपालन करते हैं या नहीं। मैं ज्यादा विस्तार में इसके लिए नहीं जाना चाहता हूं। मैंने खुद भी सदन में 25 नवम्बर को एक प्रस्ताव इसी संदर्भ में रखा था। उस पर कई घंटों तक चर्चा चलती रही। इस प्रस्ताव का यही मकसद था कि जो संभव संविधान में प्रावधान बनाया है उसको आप तुरन्त लागू कीजिए, 371(2)। इसको लागू करने के लिए वह प्रस्ताव था। कल आपने मुझे जवाब दिया है, गृह मंत्रालय का जवाब है। अतारांकित प्रश्न संख्या 993, यही सवाल फिर से पूछा है कि महाराष्ट्र विधान मंडल ने जो प्रस्ताव 26 मार्च, 1984 को पारित किया है उसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की है? मैंने देखा कि जो भूतपूर्व गृह मंत्री जी यहां थे जो आज वहां के मुख्य मंत्री बने हैं, उन्होंने जो जवाब दिया था उससे एक इंच भी आप आगे नहीं गये हैं, वहीं के वहीं रुके हुए हैं। जो जवाब उन्होंने दिया था, हम इसकी छानबीन कर रहे हैं, उन्होंने हमारे पास स्कीम भेजी है, हमने इसके बारे में उनसे विचारणा की है, यही जवाब आप के गृह मंत्री जी ने दिया है। कहां तक हमको इस ढंग से रोकना चाहते हैं? क्योंकि हम आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस निराशा के रहते, उस इलाके के लोग बहुत दिन आपसे दबेंगे नहीं। आप जानते हैं कि जो प्रस्ताव विधान मंडल ने पारित किया है इसका एक कारण यह भी था कि इन दोनों इलाकों खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा में इतना असंतोष तैयार हो गया था कि उसको दबाने के लिए, हटाने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रस्ताव लाया। मैं तो ऐसा इल्जाम आपके ऊपर लगाने वाला हूं क्योंकि अगर यह प्रस्ताव दोनों सदन करते हैं वहां के मुख्य मंत्री यह आश्वासित करते हैं कि उससे जो भी समस्या तैयार हो जायेगी, क्योंकि दोनों सदनों ने एक मुखी राय से प्रस्ताव पारित किया है तो हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं कि हम दोनों सदन के लोग फिर से बैठेंगे और अगर कोई समस्या आ जायेगी तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। अब कितने दिन तक हमको रोकना चाहते हैं। मराठवाड़ा के लोगों पर अभी तक यह इल्जाम नहीं आया कि हम अलग अस्तित्व की मांग करते हैं, हम नहीं करते हैं, हम बिल्कुल नहीं करते, हैं हमने जानबूझ कर यह फैसला किया था

There was no Nagpur pact for the Marathwada people. We ourselves said that we wanted to join Maharashtra.

क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि लोकभाषा के अलावा लोकतंत्र नहीं चलता है। हम पूरे समर्थक हैं राज्य की भाषावार रचना के लिए क्योंकि हम इस बात को मानते आये हैं कि जो लोगों की भाषा होगी उसमें ही सरकार का कारोबार चलेगा तो ही सरकार ठीक चलेगी, लोकतंत्र के लिए लोकभाषा की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। जो डिटोरियोरेशन जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी

आज नजर आती है उसमें डरने की बात नहीं है यह ट्रांजीशनल फेजेज में होता है लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि लोकभाषा पर पुनः रचना की बात गलत है तो मैं कहूंगा कहने वाला गलत है, यह बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मराठी भाषी राज्य में हम खुद सम्मिलित हो गये थे क्योंकि हम यह महसूस करते थे कि जिस हैदराबाद में हम रहते थे उसमें हमारी भाषा के जरिये न हमारा सांस्कृतिक विकास हो रहा था, हम छोटे थे, हम शक्तिशाली नहीं थे, जो हुकूमत चलाने वाले लोग थे, उनके संदर्भ में हम कम शक्तिशाली थे इसलिए जो विकास की प्रक्रिया गतिमान होनी चाहिए थी वह भी नहीं होती थी। सांस्कृतिक उन्नति के लिए और आर्थिक विकास के लिए दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम महाराष्ट्र में आये, महाराष्ट्र पर कोई उपकार करने के लिए नहीं, हमारी इच्छा से आये हैं और हम कभी महाराष्ट्र से अलग होने की बात नहीं करने वाले हैं। महाराष्ट्र में रहेंगे, महाराष्ट्र के साथ रहेंगे, महाराष्ट्र के विकास में हमारा योगदान चलता रहेगा, लेकिन जो हमारी दिक्कतें हैं उसके लिए महाराष्ट्र और आपसे झगड़ा भी करते रहेंगे। एक बात साफ है, हम कहीं इधर-उधर होने वाले नहीं हैं। लेकिन यह बात क्यों बार-बार उठाते हैं क्यों ब्रिटिश राज में जो विकास की प्रक्रिया में बैलेंस होना चाहिए था वह सारा टूट गया था। क्योंकि न तो कोई लोकतंत्र था और जैसे उनकी मनमर्जी हो जाए वैसे विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारा यह आकांक्षा है और मेरी नहीं जैसे कि कल्पनाथ राय जी ने बड़ा लंबा भाषण किया बिहार और यू.पी. के बारे में उनका संदर्भ क्या है उसके बारे में लोग झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि विकास की प्रक्रिया का जहां तक सवाल है सारे देश के लिए भी उसके बारे में सोच-विचार होना चाहिए। मेरी उनसे इतनी दरख्वास्त है कि एक तरफ तो राजीव गांधी जी यह कर रहे हैं, बढ़कर रहे हैं, और फिर भी यही बात कह रहे हैं कि हमारा हुआ नहीं है। फिर राजीव गांधी जी ने आपके लिए क्या किया है, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर किया हो तो उसको कहने की कोई जरुरत नहीं है ऐसा मैं मानता हूं। अगर इतना ज्यादा उन्होंने आपके लिए करके रखा है तो हमारे लिए कुछ काम नहीं होना चाहिए और न आपके लिए होना चाहिए। लेकिन आपके दर्द को मैं समझता हूं, आपके दुख को मैं समझता हूं, आपकी वेदना को मैं समझता हूं, आपकी व्यथा को मैं समझता हूं। इसके लिए मैं कहता हूं कि आपके मन की जो व्यथा है वही हमारी व्यथा है। यह एक संतुलित विकसित देश हम चाहते हैं जिसमें Everybody should feel that he is a strong and equal participant in the entire process of development. हम यह नहीं चाहते हैं कि हम खुद को कमजोर महसूस करें हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई लोग हमको कमजोर समझें, न कोई समझे और न हम खुद मानें, इस ढंग की एक शक्तिशाली अस्मिता सारे देश की बने। अगर आपके शरीर का कोई अंग कमजोर हो जाता है तो सारा शरीर भी कमजोर रहेगा। क्या यह ठीक है ? अगर मैं आपको यह कहूं कि यह जो सैक्टर्य फाइव ईयर प्लान है इसमें भी जो डायरेक्शन दी है इतने सालों बाद इसमें भी यह लिखा है :

> Seventh Plan Strategy. I quote from pages 103-104.
>
> "The pattern of the growth envisaged in the Plan is expected to be a continuation towards reduction of inter-regional disparities in the levels of development".

इसका मतलब सैक्टर्य पंचवर्षीय योजना होने के बाद हम लोगों को यह लिखना पड़ रहा है कि देअर आर इंटर-रीजनल डिसक्रीपेंसीज वहां लेवल एक समान नहीं है, वहां दर्जा एक नहीं है, 40 सालों के

बार बार-बार इनको इसको दोहराना पड़ रहा है । कई कमीशन्ज आये, पांडे कमीशन आया, चक्रवर्ती कमीशन आया, कई नई-नई पालिसीज आयी हैं । परसों किसी समाचार में हमारे उद्योग मंत्री कह रहे थे कि अब हम जो कोई अविकसित विभाग हैं उनके विकास के लिए एक विशेष दृष्टि से काम कर रहे हैं । ठीक है इसका मतलब वहां विकास नहीं हुआ है । अगर उनको साथ में लाना है तो कोई व्यवस्था करने की जरुरत है । यह जो बिल आया है वह तो माननीय आज के जो आपके मंत्री हैं जो भूतपूर्व सिर्फ संसद सदस्य थे श्री वसन्त राव साठे उनका जैसे का वैसा ही बिल है । 1978 में वसन्त राव साठे जी ने यही विधेयक लाया था लेकिन उनका बैलट में नम्बर नहीं आया और इसी सदन के एक सम्माननीय सदस्य हमारे मित्र स्व० वैशम्पायन जी ने ऐसा ही विधेयक लाया था, लेकिन बैलट में नहीं आया । वह तो चले गए और एक मंत्री हो गए, एक परलोकवासी हो गए हैं । दोनों एक दृष्टि से एक जैसे ही हो गए हैं । लेकिन जो कुछ हुआ इसके बारे में मैं इसलिए कहता हूं कि यह वही विधेयक है । कुछ जो मंत्रीमण्डल में नहीं है उनकी वही भावना है, सब की वही भावना है । साठे जी की भी वही भावना है लेकिन वह बेचारे सदन में कुछ नहीं कह सकते इसलिए वर्धा में जाकर कुछ कहते हैं । यहां कुछ कहते हैं तो उसके बारे में हो-हल्ला होता है तो फिर यहां हमारे कान में कहते हैं । लेकिन उनकी भावना को आप समझ जाइए । वह कैसे कहें, क्या कहें यह उनकी मर्यादा पर निर्भर है । हमारे लिए कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए स्पष्टता से इस बात को आपके सामने रख रहे है । अब मेरे सामने दो-तीन सवाल हैं । जब हमने यह सवाल 25 नवम्बर और 16 दिसम्बर 85 में प्रस्ताव के रूप में आपके सामने लाया था तो दो-तीन बातें हमने आपसे कही थीं । उस समय हमारे संसद सदस्य, सम्मानित सदस्य श्री भाटिया जी ने यह सवाल हम से किया था कि 24 साल के बाद यह मांग क्यों कर रहे हैं । 60 में री-आर्गेनाइजेशन हो गया और संयुक्त महाराष्ट्र बन गया । 24 साल तक आप क्या कर रहे थे ? मैंने कहा—हम इसकी राह देखते थे कि गति से महाराष्ट्र के सारे विकास में हम योगदान दें, लेकिन कुछ न कुछ आपके आश्वासनों के कारण हम रुकते रहे हैं । आपने कहा—इन सालों में करेंगे, उन सालों में करेंगे । प्रस्ताव पर बोलते हुये मैंने कहा था कि वी आर यूजिंग दिस रेजोलूशन एज ए लास्ट रिसार्ट । यह नहीं कि हमारी ख्वाहिश थी, यह हमारी इच्छा नहीं थी, हम भी चाहते थे संविधान में जो प्रावधान किया है, उसको लागू करने के बगैर अगर हमारा विकास हो जाता या हमारा अनुशेष खत्म हो जाता तो शायद आपके सामने मेरा प्रस्ताव लाने की या यह विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होती ।

महोदय, मैं बहुत आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि सारे आंकड़े हमारे मित्र विट्ठल जी ने आपके सामने रख दिए हैं । लेकिन कुछ आंकड़े जो सरकारी हैं क्योंकि उसी समय मैंने मेसेज भेजकर सरकार से मांगें थे कि महाराष्ट्र सरकार अनुशेष के बारे में क्या कहती है, वह रखना चाहूंगा । कल्पनाथ जी ने जो कहा है, वह बहुत सही है । किसी भी विकास के लिए एक आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर विकास की प्रतिक्रिया गतिमान हो सकती है । क्या आधार होते हैं, संरचना का एक आधार होता है, एक आधार होता है—जल संपत्ति का ठीक ढंग से आयोजन रास्ता, बिजली की व्यवस्था, कृषि आधारित उद्योगों की संरचना की बात होती है, रेल जैसी चीज है, जो सारे डवलपमेंट का इन्फास्ट्रक्चर बन सकती है । कल्चरल कम्युनिकेशन करती है, सारे डवलपमेंट का इन्फास्ट्रक्चर रेलें बन सकती हैं । इसमें मराठवाड़ा, विदर्भ और अन्य महाराष्ट्र के संदर्भ में हम कहां हैं, इसके लिए दो-चार आंकड़े उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । आप मराठवाड़ा की हालत देखिए, जबसे हम

आजाद हुए हैं, तब से न एक इंच रेल लाइन का कनवर्सन हुआ है और न ही एक इंच नई रेल लाइन आयी है । सारे सात जिलों में मराठवाड़ा के कुल मिलाकर 50 किलोमीटर ब्रोडगेज लाइन है और 450 किलोमीटर मीटरगेज । स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी जब रेलमंत्री थे, तब से हम इस बात की मांग करते रहे हैं कि मनमाड से लेकर हमको जोड़ दीजिए ब्रोडगेज लाइन से । यह एक अभागा राज्य है, जहां हमारे इलाके को केपिटल से जोड़ने के लिए एक लाइन नहीं है । मराठवाड़ा से चलिए मीटरगेज से और मनमाड पर उतर जाइए, फिर जाइए ब्रोडगेज से । हमने बार-बार कहा है कि कम से कम हमको हमारी राजधानी से जोड़ा जाय ब्रोडगेज लाइन से । लेकिन यही 50 कि मीटर ब्रोडगेज और 450 किलोमीटर मीटरगेज है, फिर रेल नहीं है । इसके कारण विकास नहीं होता है ।

महोदय, हमने बार-बार कहा है इस बात को और हमने रेल मिनिस्टरों के पास भी कहा है कि रेल बिछाइए, तो वे कहते हैं कि क्या करें, आपकी जो फजिबिल्टी होनी चाहिए, वह नहीं है जिस कारण हम नहीं दे सकते हैं, आपके पास इंडस्ट्री नहीं है तो कैसे रेल बिछाई जा सकती है । हम फिर गए इण्डस्ट्री वालों के पास और उनको पूछा कि सर, हमारे यहां इण्डस्ट्री खोलिए । तो वह कहते हैं कि आपके यहां रेल नहीं है, इससे पैसा ज्यादा लगता है, कैसे वहां इण्डस्ट्री लगाएं । अब रेल नहीं है इसलिए कि इण्डस्ट्री नहीं है और इण्डस्ट्री नहीं है इसलिए कि रेल नहीं है । दोनों का मतलब है कि यह क्षेत्र अविकसित रहे । यही निष्कर्ष निकलता है । आखिर कितने दिनों तक बर्दाश्त करें ? कितने दिनों तक हम हमारे लोगों को कहे कि हम लौटकर आ गए, जो कुछ होगा बस होगा । यह कहने की हममें हिम्मत नहीं है और न ऐसी हिम्मत हम रखना चाहते हैं । हम यही चाहेंगे आप इस बात को मानें । अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो लोगों की हिम्मत को जगाएंगे और लोगों की हिम्मत जगाना, उनकी शक्ति को प्रज्जवलित करना, उनकी शक्ति को बढ़ाना, उनकी ताकत यह जरूर आपके माथे पर आएगी । हम इसको लादना नहीं चाहते । लेकिन यू आर फोर्सिंग अस टू दैट डायरेक्शन । हम नहीं चाहते कि हम करें । हम नहीं चाहते कि हम लोगों को भड़का दें । लेकिन कितने दिनों तक बर्दाश्त करें । इसको आप क्यों नहीं सोच रहे हैं ? आप भी उस इलाके से आते हैं । उसी इलाके से यहां आए हैं । हमको बड़ी खुशी हुई कि आप बेहतरीन इलाके से आए हैं । अब वहां का सृष्टि-सौन्दर्य तो आप नहीं ला सकते, हिमालय की मांग हमने अब तक नहीं की है कि आप हमको विकास के लिए हिमालय भी दीजिए । पहले शंकरराव चव्हाण जी मराठवाड़ा के थे और अब आप विदर्भ के हैं, दोनों मिलकर कुछ करें वह वहां बैठे हैं और आप यहां बैठे हैं और दोनों मिलकर आप इस बात को कर सकते हैं । अब बर्दाश्त करने के लिए मत कहिए क्योंकि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं किया जायगा । आप समझ गए होंगे क्योंकि, जैसा मैंने बार-बार कहा है, आन्दोलन आगे बढ़ता है तो कुछ आश्वासन उनके सामने फेंक देते हैं But this issue cannot be thrown under the carpet for ever. कभी भी मामला हो जाता है मराठवाड़ा-विदर्भ में तो सारी शक्ल बदल जाती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं । तुरन्त आन्दोलन खड़ा हो जाता है और सारा माहौल महाराष्ट्र का बदल जाता है । इस निराशा से लोगों के मन में भावना पैदा होती है कि क्यों महाराष्ट्र में आए । जो आप देर लगाते हैं उससे मन में शंका पैदा होती है कि क्या हमारे भविष्य की तरफ देखने वाले कोई हैं या नहीं । यह बात न राष्ट्र के लिए और न महाराष्ट्र के लिए अच्छी रहेगी कि यह निराशा चलती रहे । निराशा दो बातों को जन्म दे सकती है, आदमी का सामर्थ्य कम बना कर, और आलसी बना कर घर में बिठा देती है या एक विध्वंसक भावना उभरती है जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती है । एक लोकतांत्रिक होने के नाते में इन दोनों को ठीक नहीं

समझता । मैं नहीं चाहता कि देश के लोग निराश बन कर घर में बैठ जायें। मैं यह भी नहीं चाहता कि निराश होकर विकृति में वे ऐसा कुछ करें जिससे लोक-तंत्र टूटे । इसके लिए हम बार-बार दरखास्त करते आए हैं कि आपके हाथ में यह मसला आ गया है, महाराष्ट्र के दोनों सदनों ने आपके सामने प्रस्ताव भेज दिया है । 27 मार्च, 84 से लेकर आज 86 हो गया, दो साल हो गए । सारी बात रिसोर्सेज की है । सरकार का अनुशेष विदर्भ के लिए 29,143 लाख है, मराठवाडा के लिए 10,982 लाख, कौकण के लिए 7,384 लाख । चालीस सालों से इकट्ठा रहते हुए यह अनुशेष है । अगर अन्तर कम नहीं होता तो निराशा ही हो सकती है । आई आर डी पी, एम एस आई डी सी बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, लेकिन काम बहुत बुरा चलता है । एम आई डी सी ने जो भी खर्च 1983 में किया, उसका 69 परसेंट बम्बई को मिला था, मराठवाडा को 9 परसेंट और विदर्भ को 7 परसेंट । बैंक का ही लीजिए । बम्बई में कितना पैसा खर्च होता है और औरंगाबाद में कितना खर्च होता है या जिस इलाके से आप आते हैं उसमें कितना खर्च होता है, पता लग जायेगा । How to reconcile this ? इस इम्बेलेंस को दूर करने का क्या तरीका है । राज्य पुर्नरचना के समय सोचा गया था, उसी समय संविधान में प्रावधान किया गया था, वही हम लोग थे । उन्होंने कहा कि अगर इम्बेलेंस वैसा ही रहे तो कोई न कोई सेन्ट्रल अथारिटी चाहिए जो इसको कम करने का प्रयास करे और इसके लिए प्रावधान किया । इस प्रावधान को लागू करने के लिए कभी आग्रह नहीं किया । जब 25–30 सालों से देखते आए कि कोई चारा नहीं बचा इसको दुरुस्त करने का तो सोचा प्रयास करें । महाराष्ट्र पुर्नरचना के समय यशवन्त राव जी हमारे मुख्य मंत्री थे। उस समय उन्होंने तीन वादे हमसे किए थे कि जो नागपुर करार में मंजूर किया है उसको अमल में लाएंगे । इस सम्बन्ध में एक बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । उन्होंने कहा था कि विकास की जो प्रक्रिया अलग-अलग इलाकों में चले उसकी रिपोर्ट हर साल में विधान सभा में आ जायेगी उसे दिखाने के लिए और चर्चा करने के लिए । 1960 से ले कर 1986 तक सालाना रिपोर्ट कभी भी सदन में नहीं गयी । सालाना रिपोर्ट पर बहस होने का आप का आश्वासन था । तो क्या लोग यह न समझें कि आप अपने वचनों को पूरा करने के लिये अपने को बाध्य नहीं मानते । कुछ समय के लिये उस समय के लोग खुश हो गये कि जो रिपोर्ट होगी उस पर बहस हो जायगी और यशवन्त राव जी ने कहा है तो जरूर होगी । उस के बाद लोग उस बात को भूल गये । लेकिन उन का आश्वासन वैसे का वैसा ही रह गया । अगर आश्वासन सरकार पूरा नहीं करती है तो आश्वासन पर नहीं, लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ जाता है और लोक तंत्र में विश्वास कम होता है । लोग कहते हैं कि आप को लोकतंत्र की व्यवस्था से कुछ होने वाला नहीं है । लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने के लिये और लोगों के विश्वास को पुनर्गठित करने के लिये, लोगों के मन की क्षीण होती हुई उमंगों को फिर से जगाने के लिये, जो विकास का श्रोत खंडित हो रहा है उस को अखंडित रखने के लिये यह आवश्यक है कि आप को इस विधेयक को स्वीकार करना चाहिए । सवाल यह उठ गया और इस का जवाब यदि विधि मंत्री जी यहां होते तो आप उन से बात कर के दे सकते थे, लेकिन यदि वे यहां नहीं हैं तो उन से बात कर के आप इस का जवाब दें और इस का निपटारा करें । भूतपूर्व मंत्री महोदय ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मुझे कहा था--आई एम नाइदर फार इट, नार अगेंस्ट । वे यहां इस समय सदन में नहीं हैं । यह बात उन के सामने कहनी चाहिए । चूंकि वे यहां नहीं हैं इस लिये मैं उस बात को कहना नहीं चाहता इस लिये कि उन को जवाब देने का अवसर नहीं है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वे यहां भी नहीं हैं, वहां भी नहीं हैं, आखिर कहां हैं ? लेकिन इस से हम को इतनी तसल्ली

हुई कि आप ने कोई फैसला नहीं किया है । कम से कम निगेटिव फैसला नहीं किया है । इतना तो आश्वासन हुआ । लेकिन हम आप से बात करेंगे बराबर इस विषय को ले कर ताकि आप का हृदय कुछ परिवर्तित हो सके । मैं मानता हूं कि आपका हृदय परिवर्तित हो सकता है। आप नौजवान हैं, परिवर्तन जल्दी हो जायेगा ऐसा मेरा विश्वास है । लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको धारणायें बन जाती हैं तो उन का दृष्टिकोण बदलना मुश्किल होता है । आप पर ज्यादा असर नहीं होता । इसी लिये इस समस्या पर हम आप से बात कर रहे हैं । इस लिये मैं आप से कह रहा हूं कि उन्होंने दो मुद्दों को उठाया कि कांस्टीट्यूशनली प्रावधान लागू करने में जरा धोखा लगता है । उन्होंने कहा था कि संविधान के प्राविधान से शक्ति गवर्नर के हाथ में दे देते हैं तो इट मे बी एन इरोजन आफ लेजिस्लेचर अथारिटी । हम इस बात को नहीं मानते। हम इस लिये नहीं मानते कि संविधान में जिन्होंने इस प्राविधान को लिखा है उन्होंने भी इस बात को सोचा होगा, ऐसा मैं मानता हूं । और हम ने देखा है कि यह बात कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नर के हाथ में यह गठित करने का अधिकार देने से लेजिस्लेचर की पावर खत्म होती है । मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि मैं समझ नहीं पाया हूं कि किस तरह से लेजिस्लेचर का अधिकार इस से खत्म होता है । हम लोकतंत्र के लिये लड़ने वालों में से एक हैं । जन प्रतिनिधियों पर कोई अंकुश लगेगा तो हम लडेंगे । जन प्रतिनिधियों की शक्ति को मजबूत करने के लिये जो कुछ हम कर सकते हैं वह करने वालों में से एक मैं हूं । शायद आप भूल गये थे एक दो साल के लिये, लेकिन हम इस बात को भूलने वाले नहीं हैं । तो हम नहीं चाहते हैं कि लेजिस्लेचर या लोक प्रतिनिधियों के अधिकारों का कोई अतिक्रमण हो या उन के अधिकार कहीं पर कम हों । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नवम्बर से ले कर आज तक आप ने इस बारे में कुछ सोचा, ऐसा मुझे नहीं लगा । जो उत्तर कल आप ने अतारांकित प्रश्न का दिया है उन में आप कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई सूचनाओं पर कार्यवाही की जा रही है । 6 नवम्बर से ले कर आज तक क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इस बारे में आप ने कोई न कोई विचार किया होगा । अगर किया है तो पाजिटिवली विचार कीजिए और मैं फिर कहता हूं कि Government must be responisve to the aspirations of the people. If the Government is irresponsive, then there is danger of the people going irresponsible. Irresponsive Government leads to irresponsible people. Now we are trying to persuade, please don't take so much of time, it is already too late.

आप लोगों के मन में यह भावना पैदा कीजिए की आप हमारी भावनाओं को प्रतिसाद देते हैं, आपके विकास के कार्यों को प्रक्रिया को गतिमान होने में हम योगदान करते हैं आप इस सदन में यह भावना पैदा कीजिए फिर देखिए उसका क्या असर होता है। आप खुद जाकर देखेंगे कि जो आप चाहेंगे वह काम हो सकेगा । मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि यह मसला कोई सियासी मसला नहीं है । हम महाराष्ट्र के लोग विकास की प्रक्रिया में राजनीति नहीं लाते हैं, बल्कि उसमें मदद करते हैं । हम सबको उसमें साथ लेकर चलते हैं । महाराष्ट्र के विधानमण्डल की भी यही राय है कि हम इसको पूरा कर सकें बशर्ते कि हमारे सियासी मतभेद दूर हों, वह आप चाहें तो दूर हो सकते हैं ।

इसलिए श्री विट्ठलराव जी का जो विधेयक है, वह कोई विपक्ष का विधेयक नहीं है । मैं समझता हूं कि उनका यह जो विधेयक है यह महाराष्ट्र के विधानमंडल की राय का प्रतीक है । इस बिल के तहत जो उन्होंने मांग की है, इसको आप मंजूर करें । धन्यवाद ।

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir. this is a very serious matter, this is a very grave matter, which we are debating today. I feel, it has got very grave national implications. Today, we are involved, in the country, in a debate on Centre-State relations. The Sarkaria Commission is sitting. People have given evidence before it. People have made representations. A representation has been made by our State of Maharashtra also, on Centre-State relations. This is a matter of prime importance. Why do I say, Centre-State relations? Because, this is something which the Centre has to implement. As my good friend. Dr. Bapu Kaldate, has said, as Shri Kalp Nath Rai has said earlier when he was referring to the States of UP, Bihar and other parts of India, which I shall not refer to, this is something which the Centre has to implement. This is something which is enshrined already in our Constitution. I would like to digress a little bit and tell the House about the history of this, the background of this. I am sure, Shri Jadhav must have done it. I was not present at that time. But I would like to reiterate what he said. We have to understand how all this came about. At the time of the States, reorganisation, when Justice Fazal Ali Commission sat and decided on the reorganisation of States, at that time, he felt that the Marathi-speaking areas of Vidarbha, which were earlier part of CPN, Berar—there were eight Marathi-speaking districts of CPN, Berar--he wanted that the eight Marathi-speaking districts should be sparated and should be made into a Marathi-speaking State as a distinct entity apart from Bombay or Maharashtra. whatever it was named later. As a reaction to this, movement was started; to counteract this division. A movement was started by the Marathi-speaking leaders of Maharashtra to see to it that all the Marathi-speaking regions remained within Maharashtra. At that time, Sir, Nagpur had enjoyed a place of preeminence. It was the capital of CPN, Berar. Nagpur was the capital. The development of the region was going on at a very fast and accelerated pace. It is these very people who came to an agreement, an understanding, with the leaders of Maharashtra and said that for the sake of language, for the sake of cultural identity, we will remain together; we will not ask for a separate State. Sir, it is the reaction. it is the ambition, of every regional politician that he should become the Chief Minister or he should become a Minister. These people gave up thinking in that way. They said, the leaders of Yore—they wanted to become a part of greater Maharashtra; they joined the Maha Maharashtra movement; they wanted Samyukta Maharashtra. These leaders wanted to remain within Maharashtra for the sake of common good and. therefore, they gave up thinking in that way. Sir eleven leaders signed what was called the Nagpur Accord. They belonged to different regions. They belonged to Vidarbha. they belonged to Bombay, they belonged to Western Maharashtra. These are very eminent names, like Shri R.K Patil, Shri P.K Deshmukh, Baosahib Hire, Shri Deoki Nandan, Shri Y.B. Chavan and others. All the 11 people signed the memorandum of the Nagpur accord. And what was in the Nagpur Accord? The one thing that was there was that Nagpur would become the second capital. Well, it has become the second capital. It has become the second capital and by 'Second' I mean it is not only second but second-rate capital. Nothing is done, there is no development. Nagpur is capital only when we go to attend the assembly session. Only for that period of the session when the Assembly sits it is the capital and that is how we have implemented that part of the accord. The second part of the accord that was very important, was to be enshrined in the Constitution. The second part of the accord was made

a part and parcel of the Constitution under article 371. I would like to read this article 371 (2) which reads as under :

"371 (2) Netwithstanding anything in this Constitution, the President may by order made with respect to the State of Maharashtra or Gujarat provide for any special responsibility of the Governor for--

(a) the establishment of separate development boards for Vidarbha Marathwada, and the rest of Maharashtra or as the case may be Saurashtra, Kutch and the rest of Gujarat . .."

Of course, Gujarat was also a part of Bombay.

PROF, N. M. KAMBLE (Maharashtra) : Including Karantaka.

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH: That was later. Let me read the article. It further reads:

"....with the provision that a report on the working of each of these boards will be placed each year before the State Legislative Assembly."

That is part (a).

Part (b) reads :

"The equitable allocation of funds for developmental expenditure over the said areas, subject to the requirements of the State as a whole ; and

(c) an equitable arrangement providing adequate facilities for technical educational and vocational training, and adequate opportunities for employment in services under the control of the State Government, in respect of all the said areas, subject to the requirements of the State as a whole."

This was the article inserted in the Constitution and this article has never been implemented right from the time it was enshrined in the Constitution. Is that the respect we have for the Constitution of India ? This is an article in the Constitution of India and we have not got it implemented.

Sir, I think you will want to know what my position is on this Bill. My position on this Bill is that I oppose this Bill. Why do I oppose this Bill ? It is because the provisions already contained in the Constitution are more than are drafted in this Bill. They are already more and those provisions, according to me, need to be implemented. Let us implement those provisions which are already there in the Constitution rather than to begin with a new Bill which gives us less. I do not want to get less, I want that what is already enshrined in the Constitution should be provided. Let us provide for these boards. Let us have separate boards. Shri Jadhav has mentioned the names of various regions in this Bill. I would like to say that several single regions can be provided with the boards. Shri Kalpnathji has been referring to Garhwal earlier in the day. Through you, Sir, I would like to ask Mr. Kalpnathji, does he not know about the Garhwal Mandal Vikas Nigam which has got funds from everywhere to develop Garhwal ? Is it because 85 Members of Lok Sabha come from U. P. ? Is it because various leaders come from Garhwal ? No. I want the same Boards to be set up for Maharashtra. The Maharashtra Assembly

and the Maharashtra Legislature, both the Houses was have passed a unanimous resolution on the 26th March, 1984 asking for implementation of this. And let me remind the hon. Minister, Shri Ghulam Nabi Azad, sitting in that corner that he has been elected by the people of Maharashtra and it is his duty to see that the resolution unanimously passed by the Maharashtra legislatures, by the people of Maharashtra, is implemented, it is his duty to see that the aspirations of the people are not tried upon easily. I would like to mention another thing. I was talking earlier about Centre-State relations. What does this have to do with the Centre-State reations ? Apart from implementation, I would like to mention, as Dr. Kaldate has said, that this is something which cannot remain hidden under the carpet for too long. The people are not going to bear with it. Let me tell you, when we made an accord, when we made a provision in the Constitution, that provision has to be implemented. Whenever we make an accord, we try and implement all the provisions whether it be the Punjab accord, or Mizo accord, or any other accord. We made the Nagpur accord long time back. It was made at a lower level no doubt but that provision was enshrined in the Constitution under Art. 371. It is not something to be taken lightly. It has to be implemented. It is far too long that it has not been implemented and it is about time that it was implemented, because if this is not implemented, the just aspirations of the people will be unrealised they will have no course left but to agitate ; and agitation is the last thing we want.

So I would like to urge the Government through your medium, Sir, and would advise our friend, Mr. Jadhav, to withdraw this Bill. I do not want this Bill to come in because, as I have already stated, the Article is already there in the Constitution. Let us withdraw this Bill and let this House unanimously today ask the Government to kindly implement this provision, to kindly see to it that Art. 371 is properly implemented, that the Boards are properly set up, that employment is provided, that investment is made, that the backlog is cleared and the aspirations of the people are actually realised properly so that we can go on into the 21st century as one people and not as somebody lagging behind with somebody running in front. Let us all move together as one family, as one unit, as one country. Thank you.

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, मेरे मित्र सम्माननीय सदस्य श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव जी के बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे तो सत्तारूढ़ दल के समर्थन के अवसर विरोधी दल को बहुत कम मिलते हैं और मैं आशा करता हूं कि जब दोनों दल एकत्रित रूप में कुछ कर रहे हैं, तो सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं—आज का दिन एक विशेष दिन है। आज पहली अगस्त है, हिन्दुस्तान में असंतोष के जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का यह पुण्य स्मरण दिन है। लोकमान्य तिलक को भारतीय असंतोष का जनक इसलिए कहा गया ... (**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय: आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, असंतोष के जनक—यह क्रान्ति के जनक कह सकते है, असंतोष के जनक नहीं।

श्री प्रमोद महाजन : जो शब्द अंग्रेजों ने उनके लिए उपयोग में लाया था, वही मैं ला रहा हूं।

श्री कल्पनाथ राय : आप अंग्रेज नहीं हैं, आप तो हिंदुस्तानी हैं।

श्री प्रमोद महाजन : इससे अधिक तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है। असंतोष का निर्माण करने वाले, हिन्दुस्तान में असंतोष को—नहीं मेरी हिन्दी थोड़ी अलग है। मेरी मातृ-भाषा मराठी होने के कारण हिन्दी कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि यह सेंट्रल हाल, बजट और रपट वाली हिन्दी से थोड़ी अलग हिन्दी है मुझसे। इसलिए इस शब्द में गलती कुछ नहीं है। भारतीय असंतोष—हिन्दुस्तान के असंतोष को जिसने जन्म दिया, उन्होंने यह कहा था . . . (**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : जनक माने पिता।

श्री प्रमोद महाजन : कम से कम सीता का जनक तो याद है। उन्होंने यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूंगा। आज उनका पुण्य स्मरण करते हुए मुझे लग रहा है कि यदि लोकमान्य तिलक आज होता तो वह कहते कि सुराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक हों या उनके समान सभी महान नेताओं के जीवन का उद्देश्य यही रहा कि इस देश को आजादी मिले। लेकिन स्वराज का जो हमें वर्षों के संघर्ष के बाद मिली है, सुराज्य में रुपान्तरण करना, मुझे ऐसा लगता है कि यह जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी पर आई है और इसको देखते हुए मैं इस बिल की ओर देखता हूं। मैं एक नया सदस्य हूं, इसलिए मैं समझने में कुछ कठिनाई महसूस कर रहा हूं कि इस बिल का विरोधी कौन है? सत्तारूढ़ दल के भी बहुत से सदस्य इसको चाहते हैं, विपक्ष के भी सदस्य चाहते हैं, महाराष्ट्र विधान सभा और विधान परिषद् में 26 जुलाई, 1984 को आज से ठीक दो साल और पांच दिन पहले सर्वसम्मत रूप में सभी दलों की ओर से केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की गई कि महाराष्ट्र, जिसकी आबादी छः, साढ़े छः करोड़ है, वहां की जनता ने एक आवाज में, एक स्वर और एक सुर में इस विकास मंडल की मांग की, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको बनाने में कठिनाई क्या है? जब दोनों पक्ष, सत्तारूढ़ और विपक्ष, दोनों की ओर से यह मांग की जा रही है, महाराष्ट्र में हुकूमत भी कांग्रेस (आई) की है, वे भी यही चाहते हैं, विधान सभा और विधान परिषद् की भी यही इच्छा है तो इस विकास मंडल की गंगा में रूकावट लाने वाले शुक्राचार्य कौन हैं, कौन-सी खाई है जो साढ़े छः करोड़ लोगों की एकमुखी मांग को ठुकराते हुए हमें विकास मंडल से वंचित कर रही है? इसको समझने में मैं अपने आप में असमर्थ हूं। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस पर विचार करते समय इसको प्रतिष्ठा का विषय न माना जाये। इसमें केन्द्र और राज्य के विरोध का सवाल नहीं है। इसमें सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल के विरोध का भी सवाल नहीं है। यह सारे महाराष्ट्र के लोगों की आवाज है, अपने पिछड़े इलाके को आगे लाने का इरादा है। मैं नहीं समझता कि जनतंत्र में इससे बड़े प्रमाण-पत्र की केन्द्रीय सरकार को कोई आवश्यकता है। जब विरोधी दल और सत्तारूढ़ दल, दोनों एक स्वर से विकास मंडल की मांग कर रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जनतंत्र में इससे अधिक अच्छे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता बाकी रही होगी।

उपसभाध्यक्ष जी, यह महाद्वीप विषमताओं से भरा हुआ है। मैं इन सभी विषमताओं की चर्चा करना नहीं चाहता हूं, उसका अवसर भी नहीं है। मैं इस अवसर पर डा० बाबा साहिब अम्बेदकर जी के एक वाक्य की याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता या राजनैतिक समता, इन दो समान कोटियों का अधिकार, आर्थिक और सामाजिक समता के बिना अधूरा है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक समता यदि हम न लें तो राजनैतिक समता का कोई अर्थ नहीं बचता है। इसमें अगर हमें आर्थिक समता लानी है तो जैसे कोई बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी, बेरोजगार,

रोजगार कर्मचारी और उसका मालिक, इस प्रकार के विभिन्न मतभेद होते हैं उसी प्रकार से विषमताएं की भौगोलिक स्थिति भी जन्म देती है। जैसे दिल्ली में पैदा हुआ आदमी आधी रात में राष्ट्रीय नेता बन सकता है। व्यक्ति जहां पैदा होता है, जिस घर में पैदा होता है, जिस भूमि में पैदा होता है, जिस स्थिति में पैदा होता है, उसका उसके विकास पर प्रभाव होता है। इसलिए ये मराठवाड़ा के जो क्षेत्र हैं, मैं मराठवाड़ा से आता हूं, इसमें मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण, ये तीन क्षेत्र हैं। ये महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र हिन्दुस्तान का एक सबसे अधिक प्रगतिशील प्रान्त माना जाता है। लेकिन यह प्रगति बम्बई, पूणे और नासिक, इस त्रिकोण में ही बसी हुई है। इस त्रिकोण के आगे कोई कोण ऐसा नहीं है जहां पर प्रगति होती हो। इसलिए महाराष्ट्र को एक औद्योगिक विकसित प्रान्त मानकर अगर हम इस मांग को भूल जायें तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं श्री कल्पनाथ राय जी की इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश में मराठवाड़ा जैसे जो पिछड़े इलाके हैं, हमें उनके बारे में भी विचार करना चाहिए। कभी-कभी ऐसा लगता है कि राजनैतिक प्रतिनिधित्व हमको समान आर्थिक अवसर प्राप्त करा ही देगा। लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश है, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, उस उत्तर प्रदेश का भी रोना रोना पड़ता है। मराठवाड़ा से महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री आते है लेकिन उसका भी हमको रोना रोना पड़ता है। कोंकण से महाराष्ट्र को पहला मुख्य मंत्री मिला लेकिन वह भी पिछड़ा हुआ इलाका है और जो हमारा विदर्भ इतना सहनशील क्षेत्र है, जहां आप श्रीनगर से भी आए, नरसिंह राव जी वारंगल से चलकर आये, कभी भी विदर्भ ने इससे इंकार नहीं किया। सबको प्रेम और स्नेह से गले लगाया। मैं चाहता हूं कि नरसिंह राव जी से लेकर आप तक सारे माननीय सदस्य यहां आकर स्नेह और प्रेम से यहां का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वे इसको विचार करते समय अपने प्रतिनिधित्व का भी थोड़ा बोझ अपने दिल पर रखें यह मेरी प्रार्थना है।

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : आपको भी गले लगा लेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : ईद अभी दूर है।

मैं मराठवाड़ा से आया हूं। ऐलोरा और अजन्ता का क्षेत्र और हिन्दुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीन ज्योतिर्लिंग जिस क्षेत्र में हैं ...

श्री महेन्द्र प्रसाद (बिहार) : कौन-कौन ?

श्री प्रमोद महाजन : पहला वैद्यनाथ है फिर कृष्णेश्वर का आ जाता है, औंडा नागनाथ आ जाता है और बाकी मैं टूरिज्म वालों को बता दूंगा। यह संतों की भूमि है और शायद इसी के कारण सरकार को लगता है कि यहां के लोग शांत एवं सहनशील हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जिस तरह से संतों की भूमि है वैसे ही यह समर्थ रामदास स्वामी की भी भूमि है जिन्होंने शिवाजी के रूप में इस देश की आजादी की लड़ाई शुरू की थी। इसलिये इस क्षेत्र पर अन्याय करते समय कि यहां संतों की भूमि है, ये सह लेंगे आप यह न समझिये आप यह भी समझिये कि यह समर्थ भूमि है और यहां के लोग जवाब देना भी जानते हैं। अभी अभी सम्मानित सदस्य डा० बापू कालदाते ने कहा कि एक इंच रेलवे इस क्षेत्र को नहीं मिला, कोई राष्ट्रीय महामार्ग का एक कोना किसी जाते हुए हनुमान की दुम को तरह दो किलोमीटर चूमता हुआ चला जाये ऐसा नहीं है, एक भी राष्ट्रीय महामार्ग वहां नहीं बना, सार्वजनिक क्षेत्र का कोई प्रकल्प नहीं मिला। जैसी मराठवाड़ा की स्थिति है विदर्भ की स्थिति उससे भिन्न नहीं है। कोंकण की भी यही स्थिति है।

आज कोंकण में फलों के कारण, अगर हम उसकी ठीक व्यवस्था कर सकें तो कोंकण हिन्दुस्तान का केलीफोर्निया हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके विकास की व्यवस्था भी इसमें नहीं है। आज भी आजादी के 39 सालों के बाद बम्बई से अगर हम त्रिवन्द्रम जाना चाहें तो हमको मद्रास से शेक हैंड करते हुए ही त्रिवेन्द्रम जाना पड़ता है। लेकिन पश्चिमी घाट से त्रिवेन्द्रम पहुंचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोंकण रेलवे प्रकल्प भी वैसे हो जा रहा है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि हम महाराष्ट्र में होते हुए भी क्यों पिछड़े हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी को दोष नहीं देना चाहता। यह एक जीवन का नियम है कि जिसकी नहर लम्बी चौड़ी होती है जलाशय का पानी उसमें ही अधिक चला जाता है और जिसकी नहर छोटी होती है उसमें पानी कम जाता है तथा जिसके पास नहर है ही नहीं आप भले कितना भी बड़ा जलाशय बना लें पानी उसमें नहीं आता। बम्बई, पूना और नासिक के बीच की सारी जगहों को आपने तथा कथित महाराष्ट्र की औद्योगिक प्रगति का एक बड़ा जलाशय बना रखा है लेकिन वहां से लेकर गढ़चिरोली तक या मराठवाड़ा तक या उस्मानाबाद तक या कोंकण के सिंह दुर्ग तक कोई बड़ी नहर न जाने के कारण इस विकास रूपी गंगा जल का जो भी पानी है वह उन तक नहीं पहुंचा है। यह आपकी विकास मंडल की कल्पना है। मैं यह नहीं कहता कि इन 39 सालों में देश ने कोई प्रगति नहीं की या इन 39 सालों में महाराष्ट्र ने प्रगति नहीं की। लेकिन दुर्भाग्य से हम त्रिकोण में दब गये। इसलिये इन विकास मंडलों की ऐसी नहरें आप बना दें जिसके कारण यहां के जलाशय का पानी आखिर में वहां के गरीब आदमियों तक पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो मैं समझूंगा कि हम जितने नेताओं का नाम सुबह शाम गिनते हैं उनका सपना सही रूप में पूर्ण हो सकेगा। हम आज देश में जिस स्थिति में हैं हम यह देख रहे हैं कि प्रादेशिक उपनिवेशवाद बढ़ रहा है। हर प्रान्त में अपनी एक अलग आस्मिता बढ़ रही है और किसी किसी प्रान्त की अस्मिता दुर्भाग्य से कहीं कहीं राष्ट्र से भी बड़ा होने की सम्भावनाएं दिखायी दे रही हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह मानता हूं कि अगर प्रान्त के विभिन्न विभागों की जनता की जो न्यायोचित मांगें हैं उनको जो न्यायोचित आंकाक्षाएं हैं। विकास के अवसर में अपने आप को सहभागी करने का जिनका प्रयत्न है यदि सरकार उसकी ओर अनदेखी करेगी आंख कान बन्द कर के इस विकास की आकांक्षाओं को नहीं देखेगी तो प्रादेशिक उपनिवेशवाद को जन्म देने का दायित्व अन्ततोगत्वा सरकार पर ही जा सकता है और इसलिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जिस खतरे की स्थिति से राष्ट्र जा रहा है इस खतरे की स्थिति से अगर राष्ट्र को बचाना है तो जो लोगों की आर्थिक भूगोल से जुड़ी हुई जो भी आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। मेरी यह प्रार्थना है। मेरा सादा सा तर्क है संविधान में इसकी व्यवस्था है, जिन्होंने की वह निश्चित रूप में विद्वान थे। उन्होंने इसलिए की कि इसकी आवश्यकता जब पड़े तो इसका उपयोग कर सकें। अब सवाल इतना है कि संविधान में यह जो व्यवस्था है या नये बिल के द्वारा जो हमारे मित्र करना चाहते हैं इसकी आवश्यकता है या नहीं है। आज इतना तय करना है कि अगर आवश्यकता है तो किसी का विरोध नहीं है। जैसे मैंने प्रारम्भ में कहा महाराष्ट्र की साढ़े छः करोड़ जनता ने अपने विधान मण्डल के द्वारा एक मुख से यहां भी दोनों तरफ के सदस्य एक मुख से कह रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि संविधान में जिस प्रावधान को आपने रखा है वह केवल किताब में लिखने के लिए नहीं रखा है उसको वास्तव में उपयोग में लाना और क्रियान्वयन करना है। कभी-कभी आपको लगता होगा संविधान के उपयोग ऐसे नहीं हैं जिसमें कि ठण्डे बस्ते मे रखने की चीज रखी जाए। वह पवित्र किताब है और इस पवित्र किताब के द्वारा अगर हमने उसमे विशेष व्यवस्था की है उस विधान की पवित्रता रखने के लिए यह करना

चाहिये । मुझे तो कभी कभी लगता है कि इसमें करना कुछ नहीं है सिर्फ एक सिम्पल नोटिफिकेशन करना है । इतना हो जाए तो सारी समस्याएं इस विभाग की हल हो सकती हैं और इसलिए अंत में मैं इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि विधान मण्डल का एकमुखी प्रस्ताव है, साढ़े छः करोड़ जनता की एकमुखी आवाज है यहां भी दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं मराठवाड़ा से केन्द्र में ढेर सारे मंत्री हैं और खास करके मराठवाड़ा और विदर्भ से जितने मंत्री आते हैं उसमें महाराष्ट्र से आए हुए दो तिहाई से अधिक मंत्री इसी क्षेत्र से आते हैं । मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जिनका नमक खा कर यहां आए हैं उसको याद करते हुए मंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे कि छोटी शुक्राचार्य की जो आंख है इस बिल के द्वारा इस छोटे से दर्भ के द्वारा इस आंख को अगर फोड़ दिया जाए और विकास मण्डलों की स्थापना कर के अगर विकास को गंगा गरीब आदमी तक पहुंचा दी जाए तो मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक निर्णय होगा । मैं आशा करता हूं कि आज एक अगस्त के दिन यह ऐतिहासिक निर्णय लेने में मंत्री महोदय हमें सहायता करेंगे। धन्यवाद

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विठ्ठलराव माधवराव जाधव ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जैसे कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों ने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन के वक्त एक आश्वासन दिया गया था कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण क्षेत्रों को जो अविकसित हैं उनको विकसित क्षेत्रों के समकक्ष लाने का गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के जो अविकसित क्षेत्र हैं उनको विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने का एक आश्वासन संविधान में दिया गया था । अभी बहुत से तर्क तो उस दिन यादव जी के मैंने सुने थे बड़ी बारीकी से उन्होंने दिये और आज भी चाहे कालदाते जी बोले हों चाहे हमारे महाजन जी बोले हों चाहे कल्पनाथ राय जी बोले हों यह बात सच है कि महाराष्ट्र और गुजरात से बढ़ कर देश के जितने भी अविकसित क्षेत्र हैं उनको विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए राज्यों और केन्द्र की सरकार को मिल कर प्रयत्न करना चाहिये तभी हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र का विकास

4 P.M. हो सकता है । कालदाते जो जब बोल रहे थे तो थोड़ा उनको एक दो बातें ऐसी थी जिनको मैं निराशाजनक मानता हूं । कभी-कभी वे अतिश्योक्ति कर जाते हैं । मैं उनका कसूर भी नहीं मानता हूं कभी-कभी भावनाएं ऐसी हो जाती हैं कि आदमी कुछ अतिश्योक्ति कर जाता है । उन्होंने कहा सरकार से विश्वास हट गया, यहां तक भी सही मान लूंगा चंकि आपोजीशन के लोगों का विश्वास कभी-कभी जमता है, हमेशा तो जमता नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि जनतंत्र पर से विश्वास हटता चला जा रहा है । यह बात मेरी समझ में नहीं आई, वैसे वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं । उन्होंने जो तर्क रखे महाराष्ट्र और गुजरात के अविकसित क्षेत्रों के लिए वे बहुत अच्छे थे लेकिन जनतंत्र से भी वे निराश हो गये है, ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए था । जहां तक महाजन साहब बोल रहे थे तो मैं उनके विचारों से सस्मत हूं लेकिन विश्वजीत जी ने क्यों विरोध कर दिया यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था हालांकि वे ऊंचे स्वर में बोले तो समझ में आना चाहिए था उच्च स्वर लेकिन यह समझ में नहीं आता कि जब राज्यों का पुर्गठन हुआ तो उस वक्त का असंतोष है । फिर जैसे सभी माननीय सदस्य बोलते हैं कि हमारे महाराष्ट्र की विधान सभा, विधान परिषद् दोनों का सर्वसम्मत प्रस्ताव है और फिर इस सदन के भी, मुझे कोई लगता नहीं है कि सदस्य इधर उधर से उसका विरोध कर रहे होंगे । मैं तो हमेशा यह बोलता रहा हूं कि जनतंत्र हमारा तभी सफल होगा जब अच्छी बातें विपक्ष की तरफ से आयें तो सरकार को तुरन्त मान लेनी चाहिएं और सरकार के जो अच्छे कदम हों, उनका समर्थन विपक्ष को तुरन्त करना चाहिए । यह हमारे देश की एकता, अखण्डता और विकास के लिए तथा जनतंत्र की सफलता के लिए

मूलभूत सिद्धांत है। हमारे विधान परिषद् और विधान मंडल महाराष्ट्र के, पास करते हैं और इस सदन में भी पक्ष और विपक्ष के लोग विट्ठल जाधव जी के जो अविकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के समकक्ष लाने का सुझाव है उनको मानते हैं तो फिर इसमें विरोध की जरूरत मुझे समझ में नहीं आई। इसका क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं जैसे कल्पनाथ राय जी ने कहा, या और कोई उदस्य कहना चाहे, मेरा भी यही विचार है कि महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा भी हमारे देश में जहां भी अविकसित क्षेत्र हैं चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, मेघालय हो, काश्मीर हो, हिमाचल हो, कोई देश का हिस्सा हो अण्डमान और निकोबार या और भी अविकसित प्रदेश हैं उनको भी परिधि में ले आया जाये। संशोधन तो मैं नहीं दे सका लेकिन सारे देश के लिये और खासकर जब हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार हो रहा है, अमल हो रहा है तब हम इस देश के विकास के लिये, प्रगति के लिये और भी इसका दायरा बढ़ा दें तो यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। जहां तक विट्ठल जाधव जी ने जो कहा, मैं उनके विचारों से सहमत हूं और जो विभिन्न सदस्यों ने कहा उनसे भी। यह बात सच है कि विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कभी कभी जाने का मौका मिलता है, वहां लोगों में यह शिकायत वदस्तूर बनी हुई है चाहे रेलवे लाइन का मामला हो चाहे सड़कों या सिंचाई की योजनाओं या और भी बहुत सी बातों का मामला हो। यहां अभी राज्य सरकार का या केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार के मार्फत उतना ध्यान नहीं गया है जितना और विकसित क्षेत्रों की तरफ गया हुआ है तो यह जितना मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ का इलाका है इनके विकास के लिये गुजरात, महाराष्ट्र की सरकारें और केन्द्र सरकार मिल करके उनके विकास में कुछ सहायक हों। यह बात महाजन साहब सच बोलते थे कि कभी कभी क्षेत्रवाद भी इस वजह से उठ पड़ता है, उठना तो नहीं चाहिये, कि वहां के विकास की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया, चाहे उसके राजनैतिक कारण हों चाहे वहां की जनता की थोड़ी उदासीन प्रवृति के कारण हो और चाहे थोड़ी सी छीना झपटी के कारण हो क्योंकि जो चालाक लोग हैं ज्यादा ले जाते हैं तथा सीधे लोग अविकसित रह जाते हैं तो मैं कारणों की गहराई में तो नहीं जाता हूं मगर अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिये अगर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव इन्होंने रखा है, मांग रखी है तो उसका समर्थन ही होना चाहिये, मैं भी हृदय से समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि जो भावनायें हमारे यहां पक्ष विपक्ष के लोगों ने व्यक्त की हैं, महाराष्ट्र, गुजरात के अविकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के समकक्ष लाने के लिये —यूं तो कहा गया कि हर 6 महीने में एक रिपोर्ट दी जाया करेगी, राष्ट्रपति को भी दी जाया करेगी, राज्य सरकारों को भी दी जायेगी ऐसी रिपोर्ट बनेगी। मैं समझता हूं कि इस कहे हुए वायदे पर भी हमारा अभी अमल नहीं हुआ है, न ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार हुई है और न भेजी जाती है राष्ट्रपति को या सरकारों को।

इसके लिये कुछ जांच होनी चाहिये और जांच होने के साथ-साथ जो उनकी योजनायें हैं सिंचाई की हों, चाहे किसानों की हों, प्रगति की हों औद्योगिक क्षेत्र की तरफ से, चाहे सड़कों की हों, रेलवे लाईन की हों,—अब तो और भी जैसा कल्पनाथ राय जी बोलते हैं कि पांच सितारा होटल भी उधर होने चाहियें। अब जैसे महाजनजी कह रहे थे, वहां अजन्ता-एलोरा की गुफायें दर्शनीय स्थान हैं, तो उनके लिये कुछ विशेष हमारे पर्यटन विभाग से खास सुविधायें होनी चाहियें।

तो वहां के सर्वांगीन विकास के लिये केन्द्र और राज्य सरकार के जो भी विभाग अधिक से अधिक कर सकें, और लोगों में फैली हुई निराशा और असंतोष दूर किया जा सके, तो वह इस देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा।

इन्ही शब्दों के साथ मैं जाधव जी के विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

*SHRI A .G. KULKARNI : (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, I rise to support the constitution amendment Bill brought forward by my Honourable friend Shri Vithalrao Jadhav. While I rise to support this Bill I am reminded of my friend Shri Dhabe Sahib, ex-member of Parliament who had initiated this idea, in a serious manner. Shri Dhabe has been persistently demanding for the setting of a Vidarbha Development Board. The passing of this amendment Bill is sure to benefit the Vidarbha Development Board. I congratulate Shri Dhabe Sahib for his efforts to see that the Bill is passed by the Parliament to ensure the development of Vidarbha. I am glad that I have got the opportunity to speak on a similar Bill brought forward by Shri Vitthalrao Jadhav. I am speaking in Marathi after a very long time of 15 years. There is a special reason why I want to speak in Marathi today. The reason is that the subject of this Bill reflects the aspirations of people belonging to all sections of Society in Maharashtra. Many members who spoke on this Bill spoke about the development of Maharashtra, and referred to the Nagpur pact when Maharashtra was carved out by the efforts of late Yashwantrao Chavan with the consent of Jawahar Lal Nehru.

There was a great agitation in Maharashtra which came to be known as Sanyukta Maharashtra agitation. During that time the late Shri Yashwantrao Chavan said that the interest of the nation is more important than the interest of Maharashtra. As we also hold this opinion we never forget national interest even though we raise our demands for the development of Vidarbha and Marathwada, though some people tend to think that we forget national interest. We have inherited our culture and political legacy from Lokmanya Tilak. Mahatma Gandhi also sent some parts of his life in Vidarbha.

Pandit Nehru respected the desire of Yashwantrao Chavan and formed Maharashtra by bifurcating the former bilingual state. Yashwantrao Chavan and the leaders of Marathwada joined together and visualised the formation of a mighty and powerful State of Maharashtra. Those leaders had cherished the dream of a united Maharashtra, which would contribute to the might of the nation. But I would like to say that the irdream is not yet fully realised. That is why we are demanding for the development of Vidarbha and Marathawada. My Hon. friend Bapusahib Kaldate who spoke just now also expressed similar views. I would like to remind the hon. Home Minister, Mr. Ghulam Nabi Azad that when the Government fails to fulfil the aspirations of the people, it leads to the eruption of made mass violence. Today we are witnessing in Punjab, Assam and also in Belgaon. And the same situtation may take place in Maharashtra also. So kindly don't try the patience of the Maharashtrian people, who are struggling for their development. This attitude of the Governmentis very dangerous. I don't know whether you remember the famous statement of Pandit Govind Vallabh Pant. During those days prominent leaders of Maharashtra like Yashwantrao Chavan, Kakasahib Gadgil, the father of my Hon. friend Mr. Vithalrao Gadgil had constantly urged the then Home Minister Pandit Govind Vallabh Pant, to form the State of Maharashtra. Shri Pant replied in his typical U.P. style that one had to wait till the hot food gets reasonably cooled down.

I would like to tell Mr. Azad that those days have now gone by. The same Congress Party is no more in existence. The sociey has also changed. These are the days of

* English translation of the original speech in Marathi.

young people like you. Your emotions get immediately excited. You don't have time to wait till the hot food gets cooled down. You should remember that frustration lends to agitation. There has been persistent agitation in Vidarbha due to its continuous neglect, similarly the present Maharashtra, Karnataka border issue also is the result of the continuous neglect of the Government to solve this problem for more than 30 years. Mr. Hegde's statement that some people from Maharashtra created violence in the State of Karnataka is not correct. I would like to point out that there is going to be eruption of violence. So, it is all the more necessary to follow the the policy of the wise and experienced leaders of olden days of taking any action after careful cosnsideration. The generation of great leaders like Pandit Nehru, Moulana Azad and Pandit Govind Vallabh Pant is gone for ever. Now it is the turn of young people like you. You take decisions and repent later on. Instead of that I hope that it will be better if you can take quick decision in a cautious manner.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir) : Mr. Kulkarni you have spoken in Marathi I spoke in Kashmiri. This is real intergration.

SHRI A. G. KULKARNI : Sir, I don't want to quote figures. As many members has quoted the figures of backlog, I don't want to take the time of the House by cutting the figures. But the Hon. Minister might be aware that the Dandekar Committee had gone into the question of backlog by using various methods. The conclusions of Dandekar Committee reveal that justice has not been done to Vidarbha and Marathwada. The movement started by my Hon. friend Mr. Dhabe may turn into an agitation.

Therefore, I request the Government to look into this problem and take the right decision before the situation takes a worse turn. All the political parties including the ruling Congress Party in Maharashtra have passed a unanimous resolution requesting the Central Government to implement the same. Union Minter Shri Vasantrao Sathe was also an exponent of the same views. But the party discipline does not allow him to pursue the matter further. I can appreciate his difficulty. But now that the resolution has been passed by all political parties and it has been referred to the Central Government it is now for the Central Government to implement the decision.

——Can I please have your attention Mr. Minister?

Vice-Chairman Sir, that is why I would like to bring this matter to the notice of the Hon. Minister. I remember that in the year 1984, the then Home Minister Shri S. B. Chavan had told the House in regard to this subject that the Central Government had asked for clarifications from the Chief Minister of Maharashtra on this issue. Now he himself is the chief Minister of Maharashatra. So now you please tell me, from when should we get that clarification. The former Union Home Minister is now the Chief Minister of Maharashtra. So this is the golden opportunity for us to solve this problem. So I hope that the Chief Minister of Maharashtra will cooperate in solving this problem.

I don't know why the Government is hesitating in setting up the Development Board. I feel that the Government is hesitant in setting up such development Board because the Government might be thinking that as the Governor would be the Chairman of the Board these would be an encroachment on the powers of legislature. That is why the Government is not taking any decision. Or perhaps the Government might be thinking that once a development board is set up in Marathwada, a smiliar demand for setting

up of such boards in many other States like Uttar Pradesh, Bihar etc. might come up. But such considerations should not come in the way of the development of Maharashtra. There is a constitutional provision that the Governor will be the Chairman of the Development Board. If you really want to ensure the development of backward areas in this country, we will have no objection if you want to appoint the Chief Minister of the State as the Chairman of such development boards. I want to say this on behalf of the opposition parties. We will have no objection if the Chief Minister is made the Chairman of such statutory board, let the development be ensured by these boards under the Chairmanship of the Chief Minister. But don't come in the way of development of Marathwada and Vidarbha.

You are creating bitterness by coming in the way of development of Marathwada and Vidarbha. You are an experienced politician, you know politics much better. But I would like to caution you that this is not the time to try the patience of people. Now the time has come to take the decision. With these words I lend my full support to the Bill of Shri Vithalrao Jadhav. I don't want to tell him whether he should withdraw his bill or not. I have no habit of withdrawing my bills. One should speak out what one feels and see that his demand is fulfilled. So I would like to request the Hon. Minister who is elected from Vidarbha that he should see that the demand of development board is fulfilled. The Hon. Minister says that he knows Marathi and can speak in Marathi, let us see afterwards in the Lobby whether it is true. I don't want to test his knowledge of Marathi here in the House. I have no complaint about your election from Vidarbha. People have elected you, we don't lose any thing. Our party candidate was defeated by you. But we can't help it. But now if you fail to fulfil the demand of the people, there is every possibility of our candidate being elected in the next election. With these words, once again I support this Bill and conclude my speech.

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र) : इस सदन के सम्माननीय सदस्य हमारे महाराष्ट्र के श्री विट्ठल राव जाधव जी ने आर्टिकल 371(2) के अन्तर्गत जो बिल प्रस्तुत किया है कि जो हमारे महाराष्ट्र के पिछड़े हुए इलाके हैं और खासकर जिस इलाके से हम आ रहे हैं विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र का हिली एरिया उसके विकास से संबंधित इस बिल का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। खासकर मैं बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने इस बिल को महाराष्ट्र सरकार के पास भेजा था और कहा था कि महाराष्ट्र सरकार इसके पक्ष में अपने विचार भेजती है तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। उस समय विधान सभा का सदस्य होने के नाते हमें यह बिल पास करने का मौका मिला। विधान सभा और विधान परिषद् दोनों से एक मत से पास करके हमने इसको केन्द्रीय सरकार को भेजा है।

उपसभाध्यक्ष जी, महाराष्ट्र का अपना एक इतिहास है। जब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था उस समय मराठी भाषी कोई हैदराबाद स्टेट में थे, कोई मध्य भारत में थे, कुछ लोग बम्बई में थे। इस प्रकार मराठी भाषी तीन-चार प्रान्तों में अगल-अगल विभक्त थे, लेकिन महाराष्ट्र, के नेताओं ने इकट्ठे होकर यह निर्णय लिया और 1953 में नागपुर करार किया गया कि हम मराठी-भाषी जो अलग-अलग प्रान्तों में हैं एक जगह आयें और महाराष्ट्र का निर्माण करके अपने राज्य के विकास के लिये, देश की उन्नति के लिये प्रयास करें। नागपुर करार में स्पष्ट कहा गया है कि विदर्भ, मराठवाड़ा और रैस्ट आफ महा-

राष्ट्र को जोड़कर जो राज्य बनेगा बम्बई उसकी राजधानी रहेगी । एग्रीमेंट में यह भी कहा गया है कि सरकार लोक-संख्या आधार पर फंड्स का एलोकेशन करेगी । इसके अलावा शैक्षणिक क्षेत्र में, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, साइंटिफिक प्रोफेशन हो, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो, उसके लिये लोक संख्या के आधार पर हर-हर क्षेत्र में खर्च करने का प्रावधान था । इसी प्रकार उसमें यह भी प्रावीजन था कि सरकार मे भी लोक संख्या प्रतिनिधित्व दिया जाये, जैसे विदर्भ का अनुपात 25 परसेंट है, मराठवाड़ा का 15 परसेंट है तो सरकार में भी उसी अनुपात से प्रतिनिधित्व दिया जावेगा । हाईकोर्ट की बैंच नागपुर में रहेगी, मराठवाड़ा की औरंगाबाद में रहेगी, इसकी भी कल्पना है । हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति भी लोक-संख्या के आधार पर हो, इसी प्रकार जूडीशियल मजिस्ट्रेट रहें । यह भी नागपुर करार में सम्मिलित है ।

[उपसभाध्यक्ष डा० बापू (कालदाते) पीठासीन हुए ।]

उस समय नागपुर मध्य भारत की राजधानी थी । संयुक्त महाराष्ट्र में बम्बई को राजधानी का दर्जा दिया गया इसलिए यह भी निश्चय किया गया कि एक सेशन विधानमंडल का नागपुर में होगा, बम्बई से सरकार का स्थानांतरण एक सेशन के लिये नागपुर किया जावेगा । इस प्रकार की नागपुर करार में चर्चा थी । 1956 में संसद् में एक बिल आया था जिसमें आर्टिकिल 371(1) और 372(2) में अमेंडमेंट कर के महाराष्ट्र के पुनर्गठन के बाद विकास बोर्ड बनाने का प्रावधान रखा गया था और यह स्पष्ट कहा गया था कि इन रीजनल विकास बोर्डो की सालाना रिपोर्ट विधान सभा में पेश की जावेगी । और उसमें अगर कम ज्यादा तकरार होती है, शिकायत होती है तो गवर्नर उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं । आदरणीय गवर्नर महोदय का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था लेकिन उस समय हमने देखा कि हमारे राज्य के कुछ नेता जिन्होंने अखंड महाराष्ट्र की बात की थी, उस से अलग-अलग राज्य एक साथ आये और एक महाराष्ट्र का निर्माण हुआ । 1 मई 1960 को जब से महाराष्ट्र का निर्माण हुआ उस के बाद से 1986 तक का इतिहास में आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम लोगों के जो भाग समृद्ध थे उन लोगों ने महाराष्ट्र के नेता की हैसियत से चूंकि उनकी दिल्ली में मजबूत पकड़ थी, उन लोगों ने, मुख्य मंत्री चाहे वे मराठवाड़ा के रहे हों या विदर्भ के रहे हों, लेकिन उन सब ने बजट में प्राविजन करते समय उसका ज्यादा से ज्यादा भाग महाराष्ट्र के एक भाग के लिये लगाया और इसलिये वह भाग चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में या रोड या ब्रिज के क्षेत्र में हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो, वह भाग महाराष्ट्र का जो था उसका काफी तेजी से विकास हुआ और पिछले 25 वर्ष में विदर्भ का बैकलाग बढ़ता गया । हमारे नेता जो इस सदन में मौजूद हैं साठे जी उन्होंने भी जिक्र किया है कि दो हजार, ढाई हजार तक का बैक-लाग विदर्भ का है जिससे रीजनल इंबैलेंस जरूर हुआ है और मराठवाड़ा और विदर्भ की भावनायें बढ़ चुकी है और वहां की जनता बराबर कहती थी कि आप लोग क्या करते हो । हमारे महाराष्ट्र में चार, पांच भाग है । अगर एक परिवार में 5 बेटे है और उन में एक भाई अगर सुखी रहता है दूसरों की तुलना में और बाकी चार को आधा भी नहीं मिलता है तो परिवार एक जगह नहीं रह सकता । आपस में झगड़ा होता है, वे अलग-अलग होते हैं । लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हम लोग महाराष्ट्र से बाहर जाने की भाषा कभी नहीं बोलते । जिस समय 1960 में विदर्भ का आंदोलन हुआ था उस समय भी हमारी विरोधी पार्टी के लोगों ने उस समय के कांग्रेसियों ने काफी तेजी से आंदोलन किया, लेकिन हमारी भूमिका स्पष्ट है । विदर्भ की जनता, मराठवाड़ा की जनता महाराष्ट्र से बाहर जाना नहीं चाहती । अखंड महाराष्ट्र में रहना चाहती है और जो लोग कहते हैं कि हम लोग महाराष्ट्र के बाहर जायें, वैसा हम लोग नहीं सोचते । संयुक्त महाराष्ट्र में

रह कर ही हम को अपने पिछड़े भागों का विकास करना है। दिनांक 3 मई, 1984 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से उस समय की सदस्या श्रीमती रोड़ा मिस्त्री जी ने और हमारे सम्मानित सदस्य श्री सुरेश कालमाडी जी, श्रीमती सरोज खापर्डे जी और डा० नाजमा हेतुल्ला जी ने उस तारांकित प्रश्न पर चर्चा की थी जिस की जानकारी मैं ने यहां से ली है। मेरे दिमाग में जब मैं असेम्बली मे था तो हम को लगता था कि महाराष्ट्र के जो लोग चुन कर यहां आये हैं राज्य सभा में या लोक सभा में वे हमारी भावनाओं को ठीक ढंग से नहीं रख रहे हैं। लेकिन इस बिल पर बोलने के पहले मैं ने दो तीन दिन लाइब्रेरी में जा कर जो स्टडी की है उसके बाद मैं कहना चाहता हू कि महाराष्ट्र के लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों ने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इस भाग के लिये काफी जोरों से आवाज उठायी है और राज्य सभा में चौथी बार यह विषय चर्चा के लिये आ रहा है। इस का हमें खुशी है और मैं बताना चाहता हूं कि 3 मई 1984 के तारांकित प्रश्न में गृह मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी जी ने स्पष्ट कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार अगर हमें इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये कहती है या इस बोर्ड की डिमांड करती है तो हम उसको तुरन्त लागू कर देंगे। यह उनका उत्तर है। इस राज्य सभा का उत्तर है और जिस समय उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया उस समय इस देश की एक मात्र नेता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी इस हाउस में मौजूद थीं। उनकी प्रेजेंस में गृह मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है। और उनके बाद हमारे विदर्भ के नेता साठे जी ने एक बयान दिया था नागपुर में कि हमारे विदर्भ के विधायक निकम्मे हैं और इस 372 बोर्ड के लिये वे कुछ नहीं कर रहे है। उस समय हमने विनती की थी कि हम लोग पूरी ताकत के साथ इस बोर्ड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ने कहा था कि आप को ऐसा लगता है कि हम कांग्रेस के विधायक रहें या विरोधी पार्टी के, विदर्भ और मराठवाड़ा को बचायेंगे और महाराष्ट्र के जो भी विधायक हैं वे सभी चाहते हैं कि इस बोर्ड का निर्माण हो। उस वक्त उनकी स्टेटमेंट से हमारे लोगों को गुस्सा आया, विधान सभा सदस्यों में गुस्सा था और हमने पार्टी मीटिंग में उस चीज को उठाया और कांग्रेस के नेताओं पर दबाव डाला कि उस विधेयक को लाकर पास कीजिए और केन्द्र सरकार से विनती की कि इसे पास करें। तो 26 जुलाई, 1984 को महाराष्ट्र विधान सभा में यह विषय चर्चा के लिए आया। उस समय के मुख्य मंत्री वसंत दादा पाटिल ने उस प्रस्ताव को रखा और विरोधी पक्ष के नेता के रूप में शरद पवार ने उसका समर्थन किया। महाराष्ट्र की विधान सभा और विधान परिषद् में एकमत से यह विधेयक पारित हुआ तो केन्द्रीय सरकार को उसकी सूचना दी गई। लेकिन आज तक इस पर कोई विचार नहीं हुआ और आज जो यहां पर उपसभापति की हैसियत से कुर्सी पर विराजमान हैं, वह हमारे सम्मानित सदस्य 22 नवम्बर, 1985 को राज्य सभा मे एक रेजलूशन लाए जिस पर 22 नवम्बर तथा 6 दिसम्बर को चर्चा हुई जिसका उत्तर गृह मंत्री श्री शंकरराव चव्हाण ने दिया जो अब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि न मैं इसके हक में हूं न इसके विरोध में, उचित समय पर उचित निर्णय लूंगा। उचित निर्णय निगेटिव भी हो सकता है, पाजिटिव भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सदन में महाराष्ट्र के जो सदस्य हैं और बाहर वे जो सदस्य हैं उन्होंने जो विचार रखे हैं, चाहे राज्य सभा के सदस्य हों, चाहे जनता पार्टी के सदस्य हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, या कांग्रेस ऐस के हों या सत्ताधारी दल के हों, हर सदस्य ने इसकी मांग की है। जब आपको महाराष्ट्र की विधान सभा का विधान परिषद् का एकमत से पास प्रस्ताव मिल गया है, जब इस सदन के माननीय सदस्यों की राय मालूम हो गई चाहे वे किसी भी पार्टी

के हों, जो इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के लिए आपको बोर्ड बनाना चाहिए। श्री गुलाम नबी आजाद हमारे गृह मंत्री के रूप में यहां हैं जिनके राजकीय जीवन की शुरूआत विदर्भ से हुई थी और वहां की जनता ने उनको एक बार नहीं दो दो बार यहां चुनकर भेजा है, वे इस पर विचार करें। हालांकि हमारे बी०जे०पी० के नेता श्री महाजन ने इसका समर्थन नहीं किया, तथापि हमारे दल के सदस्य चाहे वे काश्मीर से आते हैं, चाहे दूसरे प्रांतों से उन्होंने इसका समर्थन किया क्योंकि वे इंदिरा गांधी कांग्रेस के आदर्शों को मानते हैं, नेशनल इंटिग्रिटी को मानने वाले हैं, वे देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं। इसलिए श्री गुलाम नबी आजाद काश्मीर से आते हैं, लेकिन उनको महाराष्ट्र की जनता से दिल से लगाव है। तो मैं आजाद साहब से कहना चाहूंगा कि शंकरराव जी ने जब मुगम उत्तर दिया और उसमें कुछ छोटी मोटी अड़चन निकालकर उसे महाराष्ट्र को भेज दिया तो अब चूंकि वे खुद महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हैं, मुझे आशा है कि जब राज्य सरकार ने एकमत से निर्णय लिया है तो आपको छोटी मोटी त्रुटियां भूलकर बिल को पास कर देना चाहिए और डेवलपमेंट बोर्ड का निर्णय करना चाहिए। विदर्भ और मराठवाड़ा हमारे महाराष्ट्र के पिछड़े हुए इलाके हैं। वहां वन संपदा, खनिज संपदा और नदी नालों से परिपूर्ण धरती है। काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा कोयला जाता है, लेकिन उसके विकास की बात जब आती है तो महाराष्ट्र के कुछ नेता यह नहीं चाहते हैं कि मराठवाड़ा और विदर्भ के लोग आर्थिक दृष्टि से विकसित हों, सामाजिक दृष्टि से विकसित हों। इसलिए ये लोग इस चीज का हमेशा विरोध करते आए हैं। उन लोगों ने इस एरिया को बढ़ने नहीं दिया। मैं आपको इरीगेशन के बारे में बताना चाहता हूं, कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं। बैंकों के कर्ज के बारे में बताना चाहता हूं। हर स्टेट में जो डेवलपमेंट बोर्ड हैं उनके आंकड़े उठा कर देख लीजिए। हर साल एक पुस्तक निकलती है उससे पता लग जायेगा कि मराठवाड़ा और विदर्भ को कितना भाग लोन मिला है। मैं विदर्भ के बारे में बताना चाहता हूं कि 9 परसेंट तक लोन मिला है। आज की लोकसंख्या के आधार पर, किसान भाइयों के विकास के लिए चाहे ट्रेक्टर के लिए, चाहे कुएं के लिए या किसी और चीज के लिए तो उसे बराबर कर्ज मिलना चाहिए लेकिन हमने देखा है कि इस भाग को छोड़ कर दूसरे भागों को कर्जा ज्यादा मात्रा में दिया गया है।

गजेटेड आफिसर्स और कर्मचारियों के बारे में भी बताना चाहूंगा। हमारे नागपुर करार में स्पष्ट घोषणा है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का लोकसंख्या के आधार पर हिस्सा मिलेगा। हमारे अधिकारी चाहे गजटेड आफिसर रहे हों या पियन रहे हों 25 परसेंट सरकारी नौकरियों में, उपक्रमों में होने चाहिएं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में विदर्भ के गजेटेड अफिसर्स कितने हैं केवल पांच परसेंट और मराठवाड़ा के दो परसेंट। केवल सात परसेंट हमारे अधिकारी हैं और 93 परसेंट दूसरे भाग के हैं। इन्डस्ट्री के बारे में आंकड़े देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 1985 के जो हमारे यहां के आंकड़े हैं, उस हिसाब से टोटल 18007 इंडस्ट्रीज हैं। इसमें विदर्भ में 1628 इंडस्ट्रीज हैं और मराठवाड़ा में 705 इंडस्ट्रीज हैं। परसेंटेज विदर्भ का साढ़े सात परसेंट है और मराठवाड़ा का 4 परसेंट है। यानी औद्योगिक क्षेत्र में हमारे क्षेत्र कितने पिछड़े हैं यह इन आंकड़ों से पता लग जाता है।

हमारे दो इलाकों में पी०डब्ल्यू०डी० ने जो रोड तैयार की है इसने 1961 से 1981 का 20 साल का प्लान बनाया था उसमें स्टेट की नेशनल हाई-वेज भी थीं, डिस्ट्रिक्ट्स मेजर रोड्स भी थीं। इसमें विदर्भ मे 10890 किलोमीटर के रास्ते का 1985 तक निर्माण हुआ है। और दूसरी तरफ सारे महाराष्ट्र में 1 लाख 718 किलोमीटर के रास्तों का

निर्माण हुआ है । रास्ते और ब्रिजेज के मामले में भी हमारा विदर्भ और मराठवाड़ा कितना पिछड़ा हुआ है यह इससे पता लग जाता है ।

इरीगेशन के बारे में भी कहना चाहूंगा । पिछले पांच सालों से जब से फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट बना तब से यानी 1980 से विदर्भ के चाहे माइनर, मेजर या मीडियम प्रोजेक्ट रहे हों इन महाराष्ट्र के अधिकारियों और नेताओं ने इस एक्ट का फायदा लेकर विदर्भ में हमारे सभी इरीगेशन के प्रोजेक्ट बन्द कर दिये । क्योंकि महाराष्ट्र में वन सम्पदा 18 परसेंट है उसमें से 11 विदर्भ में है । उस वन सम्पदा की जो हमने रक्षा की है इसका मतलब यह नहीं है कि वहां के किसान सिंचाई से वंचित रहें, इरीगेशन प्रोजेक्ट आप रोक दें । केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अगर प्रोजेक्ट के लिए, इरीगेशन के प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको जमीन की आवश्यकता है, वन सम्पदा में जमीन की आवश्यकता है तो वह आप ले सकते हैं । लेकिन फिर भी हमारे इरीगेशन के प्रोजेक्ट रोक दिए गये हैं । एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि विदर्भ में जो वैनगंगा नदी है इस पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की योजना चल रही थी । यह 20 साल पहले तैयार की गयी थी । जब योजना तैयार की गयी थी उस समय इसकी एस्टीमेट कास्ट 220 करोड़ रुपये थी आज उस योजना की एस्टीमेट कास्ट 450 करोड़ हो गयी है । महाराष्ट्र ने इस साल के बजट में जो प्रोविजन रखा है, वह है एक करोड़ । साढ़े चार सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है । अगर एक करोड़, दो करोड़ भी सालाना देंगे तो भी क्या विदर्भ के इस प्रोजेक्ट को साढ़े चार सौ साल में भी पूरा कर सकेंगे ? इससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि किस ढंग से विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ अन्याय हो रहा है । सन् 1985-86 का महाराष्ट्र का जो बजट है वह 22 सौ करोड़ रुपयों का है । हमारे विदर्भ की लोकसंख्या 25 परसेन्ट है । यानी इस 22 सौ करोड़ रुपयों का साढ़े पांच सौ करोड़ रुपया सन् 1985-86 के लिए विदर्भ को मिलना चाहिए लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अगर आप पिछले दो, ढाई साल के बैकलाग को छोड़ भी दीजिए तो एक वर्ष में सिर्फ तीन सौ करोड़ रुपया दिया है । अगर हमारा यह बोर्ड होता तो हम उसके माध्यम से झगड़ते और अपने अधिकारों की मांग करते और पूरा रुपया विदर्भ पर लगा सकते हैं । लेकिन इस प्रकार से हमारी विदर्भ की जनता के साथ, मराठवाड़ा की जनता के साथ खेल खेला जा रहा है । आप अगर महाराष्ट्र के स्टेटिस्टिक्स को देखें और यह देखें कि विदर्भ और मराठवाड़ा में कारें कितनी हैं, टेलीविजन सेट्स कितने हैं, ट्रेक्टर कितने हैं, रेडियो कितने हैं, मोटर साइकिल कितने हैं तो 10 परसेन्ट से ज्यादा कारें आपको नहीं मिलेंगी । महाराष्ट्र के एक भाग में अगर हजारों मोटर साइकिल हैं, कारें हैं तो विदर्भ और मराठवाड़ा में 9 परसेन्ट या 10 परसेन्ट होते हैं । इस राज्य के पांच भाग हैं । दो भागों की स्थिति एक है और तीन भागों की स्थिति किस प्रकार की है, इसका आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं । खास करके सन् 1974 में एक नई स्कीम चलाई गई । सन् 1972 में इस प्रकार की चर्चा हुई कि सरकार हमारी पोपुलेशन के हिसाब से बजट में इन क्षेत्रों के लिए प्रावधान नहीं करती है । उसमें हेराफेरी करती है तो सन् 1974 में इन क्षेत्रों के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए प्लानिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसेन्ट्रेलाइजेशन के नाम पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग कमेटियां बनाई गई । डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट कौंसिल के नाम पर कमेटियां बनाई गई । इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग के लिए अगर 8 करोड़ या 10 करोड रुपया दे दिया और यह रुपया विदर्भ को दे दिया तो जिलावार आंकड़े तो मिल जाएंगे, लेकिन विभागवार आंकड़े मिलना कठिन है । विदर्भ के लिए कितना दिया, मराठवाड़ा के लिए कितना दिया, पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए कितना दिया, इस प्रकार की योजना बनाई गई । इस प्रकार की योजना से यह पता चला

कि चन्द्रपुर जिले का डी०पी०डी०सी० के लिए जो रुपया मिला है और जो 17 करोड़ रुपयों का बजट था उसका एवरेज निकाला जाये तो उसको डेढ़ सौ करोड़ रुपया मिला । लेकिन जो हमारा अधिकार है यानी 25 परसेन्ट हमें मिलना चाहिए उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा । पांच सौ करोड़ रुपया अगर हमें मिल जाये तो हमारे क्षेत्रों का नियोजना बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है । हम लोग इससे खुश हो गये हमें डेढ़ सौ करोड़ रुपया मिल गया है । इस प्रकार से विदर्भ और मराठवाड़ा के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए वहां के अधिकारियों और नेताओं ने कोशिश की । महाराष्ट्र के मंत्रालय में जाकर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर विदर्भ के अधिकारी, क्लास-I गजेटेड अधिकारियों की संख्या 5 परसेन्ट से ऊपर नहीं मिलेगी । जिस भाग का अधिकारी होता है, स्वाभाविक है कि उसका उस भाग से लगाव होता है । इस प्रकार से डी०पी०डी०सी० के लिए जो 17 करोड़ और 18 करोड़ का प्रावधान किया गया, वह एक चालाकी थी । फण्ड देते समय भी मार्च के महीने में जो बजट पास हो जाता है उसको अप्रैल और मई तक मिल जाना चाहिए । वह जनवरी और फरवरी तक भी नहीं मिलता है । आखिरी महीनों में जब दो महीने बच जाते हैं वह फण्ड दिया जाता है । इन दो महीनों में काम नही हो पाता है और डी०पी०डी०सी० को वह रुपया सरन्डर करना पड़ता है । इस प्रकार से इन क्षेत्रों के साथ अन्याय होता है । आज विदर्भ की वही हालत है जो ईस्टर्न यू०पी० और अन्य क्षेत्रों की है । हमारे विभाग का मुख्य मंत्री होता है तो वह भी यही सोचता है कि अगर डेवलपमेंट बोर्ड बन गया तो उसके अधिकार चले जाएंगे, उसके केबिनेट के अधिकार चले जाएंगे । उनको यह मालूम है कि अगर विदर्भ के लिए डेवलपमेन्ट बोर्ड बना तो उसमें वहां के कार्यकर्ता रहेंगे, इकोनोमिस्ट्स रहेंगे, बुद्धिजीवी रहेंगे और वे लोग साढ़े पांच करोड़ रुपयों से न जाने क्या-क्या कर सकते हैं । विदर्भ में 9 जिले है और मरठावाड़ा में 7 जिले हैं । अगर इनको अधिकार मिलता है, पोपुलेशन के हिसाब से फण्ड मिलता है और यह अधिकार मिलता है कि कौन-से जिले के लिए कौन-सी योजना में कितना खर्च करें तो इससे इस क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकता है । डेवलपमेन्ट बोर्ड के बारे में यह रेजोल्यूशन जब महाराष्ट्र की विधान सभा और विधान परिषद् ने पास करके यहां भेजा तो वह किसी अच्छे वातावरण में नहीं था । जो बड़े नेता थे वे समझते थे कि इसके लिये जनता का इतना प्रेशर विद्यमान है जिसके कारण हमें पास करना पड़ेगा और मजबूरी से उन्होंने विधेयक पास करके भेज भी दिया । लेकिन कुछ लोगों ने दिल्ली के सेन्ट्रल हाल में बैठकर चाय की प्याली के साथ चर्चा शुरू कर दी कि अगर डैवलपमेंट बोर्ड बनेगा तो सरकार के अधिकार चले जायेंगे और गवर्नर के पास पावर आ जायेगी और एम०एल०ए०, एम० पी० और सरकार का कोई शो नहीं रहेगा । उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि अगर सरकार की पावर चली जाये तो यह कोई दुख की बात नहीं है क्योंकि हमने 25 सालों से सरकार को यह अधिकार दे रखा है लेकिन सरकार ने अपने अधिकार का सदुपयोग नहीं किया बल्कि दुरुपयोग किया । डेवलपमेंट बोर्ड अगर कानून के विरुद्ध कोई काम करता है तो हम गवर्नर के पास जाकर शिकायत कर सकते है कि उन्होंने विदर्भ को नहीं दिया । जितना बजट है उसकी तुलना में हमको 25 प्रतिशत मिलना चाहिए और 15 प्रतिशत मराठवाड़ा को मिलना चाहिए । पापुलेशन के हिसाब से यह शिकायत गवर्नर तक ले जाई जा सकती है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली में महराष्ट्र के कुछ नेताओं की एक लाबी है जो कि समर्थ लोग हैं, जिनके पास सुगर फैक्टरियां हैं, दारू के कारखानों के पैसे हैं और यह लाबी नहीं चाहती है कि वहां पर बोर्ड का निर्माण हो और वे लोग कुछ दिनों मे जब से इस बिल पर चर्चा हुई है हम लोगों के साथ सेन्ट्रल हाल में बैठकर चर्चा करते हैं और उन्होंने एक नया नारा दिया है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो आप महाराष्ट्र से बाहर चले जाइये और अपने अलग राज्य की मांग कीजिये । लेकिन हम लोगों का सवाल है कि आप लोगों ने 25 साल तक हमारा शोषण किया, हमारा खून चूसा और हमको दबाकर

रखा और जब हम लोगों का इतना शोषण हो चुका है कि हमारा मात्र-ढांचा रह गया है, जिसके कपड़े भी उतार लिये गये हैं, ऐसी हालत में आप कहते हैं कि महाराष्ट्र के बाहर चले जाओ। विदर्भ और मराठवाड़ा की जनता महाराष्ट्र से बाहर कभी नहीं जायेगी। मेरा केन्द्रीय सरकार से विनत है, इस वक्त वे अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको पास करें। हमारे यहां के तीन मिनिस्टर, साढे जी भी उपस्थित हैं, श्री नरसिंहराव जी विदर्भ से चुनकर आये हैं और मराठवाड़ा के श्री शिवराज पाटिल हैं, उन सब से हमारी विनती है कि आप लोग इस बिल को पास कराने में हमारे नेता राजीव जी से विनती करें और जिन लोगों ने उनको गुमराह किया है कि बोर्ड न बनाया जाए उनको उनसे अलग करें। उनका कहना है कि बोर्ड बनने से सरकार के अधिकार चले जायेंगे और हम पार्टी के माध्यम से कुछ काम नहीं कर सकेंगे और बोर्ड को गवर्नर के इशारे से चलना पड़ेगा। इस तरह की गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। आप लोग हमारे नेता राजीव जी से जाकर स्थिति को स्पष्ट करें। इसमें हम लोग भी आपके साथ हैं लोक सभा और राज्य सभा के सभी सदस्य आपके साथ हैं। महाराष्ट्र के विकास के काम में पार्टी बाजी कभी नहीं आई। अगर यह हम करेंगे तो यह राजनैतिक मंच से करेंगे वहां से भाषण देंगे लेकिन जहां तक महाराष्ट्र के विकास का सवाल है सभी लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य एक मत से बिल को पास करने के हक में हैं। इसलिये मेरी आपसे विनती है कि आप भी इसमें अपना सहयोग दें। खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा की जनता आपकी तरफ, दिल्ली की तरफ बड़ी आतुरता से देख रही है। तमाम सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा कि किसी को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता के बर्दाश्त की भी एक हद होती है। विदर्भ की जनता क्रान्तिकारी जनता है, महाराष्ट्र की जनता क्रान्तिकारी जनता है और जब वह बिगड़ जाती है तो वह किसी के हक में नहीं जाती। इसलिये मेरी आपसे विनती है कि ऐसा कोई मौका आने से पहले आप समझदारी से काम लेकर इस डैवलपमेंट बोर्ड के निर्माण के लिये अपनी सहमति दे और जल्दी से जल्दी बोर्ड का निर्माण करें। इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मोर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, हमारे साथी द्वारा प्रस्तुत इस बिल की जो भावना है, उस भावना का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन चंद बातें हैं जैसा कि बिल लाने के पीछे जो हार्द समाविष्ट है तो उस हार्द में गहराई तक जाने को मैं आवश्यक समझता हूं। मैं समझता हूं कि जिन कारणों से यह बिल लाया गया है उसके बारे में दो मत भले ही सकते किन्तु जैसे कि संविधान में उसका प्रावधान है ऐसा हमारे साथी विश्वजित जी ने कहा आज यदि महाराष्ट्र से यह आवाज उठती है, यू० पी० से यह आवाज उठती है, और दूसरे इलाकों से यह आवाज उठती कि ऐसे विकास बोर्ड का गठन किया जाए तो उसमें जरूर जाना चाहिये कि उनके कारणों के पीछे कौन सी भावना है जिस कारण से वहां की जनता यह आवाज बुलंद कर रही है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राष्ट्र के जो विभाग भाग हैं इनमें जो भौगोलिक असमानताएं हैं और प्राकृतिक विषमताएं हैं इनके कारण वहां का जो प्राकृतिक विकास होना चाहिये वह विकास अवरूद्ध होता जा रहा है। अब यह आवश्यक है राज्य सरकारों के लिये, यह उन लोगों पर निर्भर है जो वहां बैठकर के राज्य की विकास योजनाएं बनाते हैं उन्हें चाहिए कि राज्य का संतुलित विकास हो और वहां के ऐसे पिछडे हुए क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाएं। मान्यवर, मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात और सौराष्ट्र का कुछ भाग है, ऐसा इलाका है जिसमें बताया गया है लेकिन चूंकि राज्य सरकार इस बात का ध्यान रखता है कि वहां पर कोई भी इम्बैलेंस ऐसी किसी व्यवस्था का परिणाम न हो, उसकी वजह से जो असमानताएं आर्थिक असमनताएं हुई थीं वह आर्थिक असमानताएं आज दूर होती जा रही हैं। मैं जरूर यह मांग करूंगा कि जिन जिन राज्यों के अन्दर ऐसी व्यवस्था है वहां पर केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि ऐसी राज्य सरकारों की उन योजनाओं में अधिक मदद दे और उन योजनाओं में अधिक धनराशि का आवंटन किया जाए। केन्द्रीय सरकार को यह जरूर देखना है जब गुजरात के बारे में बात करते हैं तो यहां की आर्थिक,

भौगोलिक और प्राकृतिक असमानता दूर करने के लिए सौराष्ट्र और कच्छ के लिए राज्य सरकार की तरफ से जब विकास योजनाओं में धनराशि का आवंटन होता है तब जो अधिक धनराशि उन है राज्यों को पिछड़े क्षेत्रों में लगानी पड़ती है तो यह साबित होता है कि राज्य के जो इलाके हैं उन में विकास योजनाओं को कभी भी हो सकती हैं । वह जो बात देश में चल रही है और आज हमारे साथियों ने बहुत दुरस्त बात कही हैं कि जहां की असेम्बली ने भी इस बात को कहा है सर्वसम्मति से कहा है तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे जो भावना समाविष्ट है वह यही भावना है । इसी वजह से इस इलाके की ओर विशेष ध्यान दिया जाए या कुछ आर्थिक मदद कर के वहां के आर्थिक असंतुलन को दूर किया जाए । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं जिस राज्य से आता हूं वहां जो पिछड़े क्षेत्र हैं सौराष्ट्र और कच्छ उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं । जहां तक सौराष्ट्र का सवाल हैं यह प्रदेश 6 जिलों का बना हुआ है वह है राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, जाम नगर, सुरेन्द्र नगर तथा अमरेली । मान्यवर, सौराष्ट्र में जैसे कि सब को विदित है कि यहां प्रतिवर्ष चार सौ से पांच सौ मिली मीटर वर्षा होती है या इससे भी कम वर्षा होती है तथा यह अपर्याप्त एवं अनियमित भी है । इस वजह से गुजरात राज्य की जो 42 तहसीलें ताल्लुके हैं जो इस ड्राऊट प्रोन एरिया के अन्तर्गत हैं उसमें 28 तहसीलें सौराष्ट्र की शामिल हैं और इन 6 जिलों की जनसंख्या है वह राज्य की जनसंख्या का 28.10 प्रतिशत है तथा उसका जो क्षेत्रफल है वह 32 प्रतिशत है । इन 6 जिलों में 4 जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं ।

मान्यवर, सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वे कम मात्रा में वहां पर उपलब्ध हैं और 6 में से तीन जिले जो हैं वे राज्य के ग्रास इरीगेटेड एरिया टु ग्रास क्राप एरिया के प्रतिशत में कम हैं । राज्य की ग्रामीण आल वेदर एस० टी० फैसिलिटी की मात्रा 41 प्रतिशत है लेकिन वह सौराष्ट्र में मान्यवर इससे भी कम है । ग्रामीण शिक्षा की दर राज्य की एवरेज मात्रा से वहां पर कम है और गुजरात के 548 गांवों में सेलिनिटी इन ग्रेस ? प्राब्लम जो विद्यमान है इनमें से 248 सौराष्ट्र के हैं । राष्ट्र के सिंचाई से संभि लायक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत हैं वह 26 है जबकि सौराष्ट्र रीजन में इनकी मात्रा सिर्फ 19.83 है । समुद्र तटीय क्षेत्र तथा अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्र इस विभाग से संबंधित है किंतु दुर्भाग्य से लो तथा हाईपावर टी० वी० ट्रांसमीटर सुविधा से यह परे है क्योंकि यह सुविधा जो राज्य में दी गयी है उनके कार्यक्षेत्र से यह विभाग बाहर पड़ता है और इसीलिए राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत यह इलाका अलिप्त है और मान्यवर सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण कच्छ सौराष्ट्र तथा बनासकांठा जैसे गुजरात के विस्तारों पर अन्य देशों का सांस्कृतिक आक्रमण भी यहां जो होता चला जा रहा है जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीरता से आकर्षित करना चाहूंगा । सौराष्ट्र के तमाम जिले इस वर्ष दुष्काल ग्रस्त हुए थे और आज भी परिस्थिति कम वर्षा के कारण अधिक गम्भीर और अधिक खराब है । राष्ट्र की 1600 किलोमीटर यानी 1/3 समुद्री सीमा गुजरात में हैं जिसका अधिकांश इस विभाग से संबंधित हैं । इसलिए पोर्ट डेवलपमेंट, मत्स्य उद्योग तथा जलीय मार्ग के विकास को अधिक प्राधान्य देने की आवश्यकता है । इसलिए राज्य को कोस्ट एरिया सब प्लान बनाना पड़ा है और इस संबंध में पोर्ट डेवलपमेंट में केन्द्रीय सहायता की अनिवार्य है । मान्यवर हमारी कई योजनाऐं हैं, गुजरात ने इस संबंध में धन दिया है । हम चाहते हैं और राज्य सरकार भी चाहती है कि जो एक नेचरल इम्बैलेंस है इसको दूर करने के लिए जहां की जो योजनाएं हैं उनको बढ़ाया जाये और इससे जो नेशनल इन्कम है उसमें भी अधिक वृद्धि की जा सकेगी । मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि केन्द्र सरकार का भी धनराशि आवंटन करने का कोई अपना मापदण्ड है लेकिन यह इम्बैलेंस दूर करने के लिए हमारी मांग है । मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि अधिकांश जो हमारे पोर्ट हैं वे सौराष्ट्र में हैं, इसलिए गुजरात की पोर्ट को डेवलप करने की जो योजनाएं हैं उनकी तरफ थोडा और अधिक मात्रा में धन देना मै समझता हूं कि आवश्यक है ।

मान्यवर, इसी तरह से हमारा एक वारीनार

पोर्ट है । मैं कहना चाहूंगा कि उसकी प्राकृतिक गहराई सुन्दर से सुन्दर है । इसलिए एक नेचुरल पोर्ट की हसियत से अधिक गति से इसका विकास हो सकता है। इसका हाइडोग्राफिक? सुविधाओं तथा ट्राफिक पोटेंशियल को देखते हुए यह ड्राईकारगो के विकास के लिए एक उच्च और सुन्दरतम तरीके का पोर्ट साबित हो सकता है । इसलिए मान्यवर आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इम्बेलेंस दूर करने की दिशा में और इसके साथ साथ नेशनल इनकम में बढ़ावे के लिए वारीनार पोर्ट की जो मांग है इसको केन्द्र सरकार अधिक से अधिक त्वरित गति से निपटा दे । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राज्य का जो हमारा मछली उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन है यह 2.75 लाख टन प्रति वर्ष है जिसमें सौराष्ट्र का योगदान 2.10 लाख टन है और जिसका विकास भी मैं समझता हूं कि अधिक आवश्यक है । समग्र गुजरात के जो 11 मध्यम कद के बंदर हैं उनमें से 8 सौराष्ट्र मे स्थित हैं और वहां पर इम्बलेंस को दूर करने के लिए 5 सबसे बड़े सीमेंट के कारखाने सौराष्ट्र में लगाये गये हैं । मान्यवर, प्राकृतिक सम्पदा तथा संशोधनों की उपलब्धि तक सौराष्ट्र विभाग में अधिक है परन्तु अधिक आवश्यकता यह है कि केन्द्र सरकार इसकी ओर अधिक लक्ष्य दे और अधिक आर्थिक सहायता दे । मान्यवर, राज्य सरकार ने जब पंचवर्षीय योजनाएं बनाई तब प्रति व्यक्ति जो खर्च की व्यवस्था की गयी वह गुजरात के अन्य विभागों से अधिक सौराष्ट्र तथा कच्छ पर आवंटित की गयी ।

मान्यवर, सौराष्ट्र में गन्ने का जो उत्पादन है.....

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : अगर दो-चार मिनट में आप समाप्त करने वाले हैं, तो मैं दो-चार मिनट रुकुंगा और यदि नहीं, आपको ज्यादा बोलना है, तो...

श्री मोर्जा इर्शादबैग : नहीं मैं इसको कनक्लूड कर रहा हूं और मान्यवर, सौराष्ट्र में जो गन्ने का उत्पादन छह लाख टन तथा राज्य का जो गन्ना उत्पादन क्षेत्र का 33 प्रतिशत है, किंतु आज वह तमाम गन्ना कारखाने बन्द हो चुके हैं इसलिए कि सौराष्ट्र में पानी की बिलकुल कमी हो चुकी है और वहां पर किसी किस्म के गन्ने का उत्पादन नहीं हो पाया है ।

राज्य सरकार ने विश्व बैंक का जो मीडियम लाईन आफ क्रेडिट की योजनाओं का इस विस्तार में लाभान्वित किया गया है और राज्य की 23 मे से 9 योजनाएं तथा चार प्रवेश नियंत्रण विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत 33.05 करोड़ रुपये इस विस्तार में राज्य सरकार ने लगाया है ।

मान्यवर, राज्य का 77 प्रतिशत नमक तथा राष्ट्र के 50 प्रतिशत नमक के उत्पादन का क्षेत्र सौराष्ट्र है । रेल क्षेत्र में राष्ट्रीय दर के अनुपात में प्रति एक हजार किलोमीटर पर सिर्फ 38 किलोमीटर रेल लाईन सौराष्ट्र में विद्यमान है । सौराष्ट्र की कई रेल योजनाए आज भी केन्द्रीय सरकार के समक्ष पेंडिंग है और इसकी विलम्बकारी नीति के कारण इस विभाग का अधिक सुनियोजित गति से विकास नहीं हो पा रहा है ।

मान्यवर, 4,769 गांवों में से 2,268 नौ-सोर्स की योजनाओं में शामिल किये गये हैं । यह सौराष्ट्र की परिस्थिति है । अब मैं दो बातें सिर्फ कच्छ के बारे कह कर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा ।

1947 के पश्चात गुजरात और कच्छ "सी" स्टेट की नामावली में रहा और उसके पश्चात् बम्बई राज्य में यह विलीन हुआ, जिसका क्षेत्रफल, 45,652 स्कुअर किलोमीटर हैं जो समग्र गुजरात राज्य का 23.29 प्रतिशत क्षेत्रफल बनता है । इसकी जनसंख्या 10.50 लाख है, जो राज्य की जनसंख्या का 3.08 प्रतिशत है । जनसंख्या की प्रति स्कूअर किलो मीटर सिर्फ 23 व्यक्ति की गणना है, यानी कि कितनी वहां पर स्कैटर्ड लाईफ है । इसका अधिकांश क्षेत्र रण प्रदेश है और रण तथा पर्वतीय भौगोलिक कारणों से कच्छ का अधिकतम तापमान 45.0 सेल्सियस तथा न्यूनतम 2.1 सैल्सियस है और कच्छ की सब से लम्बी नदी की लम्बाई भी अगर नापी जाए, तो वह 30 किलोमीटर से अधिक

नहीं बनती । कच्छ में वर्षा के दिवस सिर्फ 20–25 हैं और आज भी वहां पर कोई वर्षा नहीं होती है जिसके कारण चारा भी वहां नहीं उग सकता । नौ में से सात ताल्लुके वहां डी० पी० ए० पी० से लैस हैं और समग्र जिले वहां अकालग्रस्त रहते हैं ।

इसलिए मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार को इसके लिए अधिक से अधिक अपनी धनराशि आवंटित करके इसके इम्बेलेंस को दूर करना चाहिए ।

कच्छ का कोस्टल बैल्ट 386 किलोमीटर है और गुजरात में 548 तटीय प्रदेश के गांव ज्वे सेलिनिटी से ग्रस्त हैं, उनमें से कच्छ के 75 गांव हैं और रूरल लिटरेसी का रेट जो है, वह 28.77 प्रतिशत है और कृषि योग्य सिंचित भूमि का सिर्फ 3.72 प्रतिशत ही कच्छ में है ।

मान्यवर, कच्छ और सौराष्ट्र के बारे में इस बात को कहते हुए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से विनती करता हूं कि महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के हमारे सदस्यों ने कुछ कहा है, लेकिन अगर इस बात के लिए आपको अगर कहीं अड़चन भी पेश आती है, तो मैं समझता हूं कि इसका सही उपाय यही हो सकता है कि वहां उन लोगों को अधिक से अधिक नई योजनाएं जो हैं, उनकी अग्रिमता देखकर अगर यह इम्बैलेंस है और उसका नेचुरल जो ग्रोथ होना चाहिए और एक प्रा तिक विकास सही मात्रा में हो सके, तो मैं समझता हूं कि लोगों की मांगों को भी हम संतुष्ट कर पायेंगे । जब तक कि सैद्धांतिक स्वरूप से और हमारे यह कानूनी स्वरूप से जब तक इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, मैं समझता हूं कि इसकी अंतरिम व्यवस्था यही हो सकती है ।

मैं आशा करता हूं कि जो बातें बताई गई हैं महाराष्ट्र के विषय में और गुजरात, सौराष्ट और कच्छ के विषय में केन्द्रीय सरकार इन मांगों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी ।

मान्यवर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं । जय हिन्द ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE) : The House stands adjourned now and will meet on Monday, the 4th August at 11 A.M.

The House then adjourned at five minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 4th August, 1986.